खण्ड–2, अंक–3
शुक्रवार, 14 बैशाख, शक संवत् 1923
(04 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2001)

(खण्ड 2 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2002

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–21
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	21
राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों पर होर्डिंग व साइन बोर्ड को मजबूती से लगाये जाने के सम्बन्ध में	21–22
कूड़ा निस्तारण की समस्या के सम्बन्ध में	22
चार धाम यात्रा से पूर्व यात्री बीमा के सम्बन्ध में ...	22
वर्ष 2000–2001 की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	23–24
बजट पर सामान्य चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	24–28
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	28–41
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
रंवाई–जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजातियों में तथा तराई क्षेत्र में निवास करने वाली बंगाली जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (सर्वसम्मति से संकल्प वापस)	43–49

विषय पृष्ठ–सं

उत्तरांचल के बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में संकल्प (सर्वसम्मति से वापस) 49–

उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प ...... (चर्चा जारी)

उत्तरांचल में पौलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प ...... (चर्चा जारी) ...

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 58–

उत्तरांचल विधान सभा (द्वितीय सत्र)

शुक्रवार, दिनांक 04 मई, 2001

निम्नांकित सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे।

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अम्बरीष कुमार
3. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4. श्री ईसम सिंह
5. श्री केदार सिंह फोनिया
6. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7. श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन
8. श्री के0 सी0 सिंह बाबा
9. श्री तिलक राज सिंह बेहड़
10. श्री तीरथ सिंह रावत
11. श्री नारायण सिंह राणा
12. श्री नारायण राम दास
13. श्री नित्यानन्द स्वामी
14. श्रीमती निरूपमा गौड़
15. श्री बिशन सिंह चुफाल
16. श्री भगत सिंह कोश्यारी
17. श्री भारत सिंह रावत
18. श्री मातबर सिंह कण्डारी
19. श्री मुन्ना सिंह चौहान
20. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
21. श्री रघुनाथ सिंह चौहान
22. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
23. श्री राजेन्द्र सिंह
24. श्री राम सिंह सैनी
25. श्री लाखी राम जोशी
26. श्री बंशीधर भगत
27. श्री सुरेश चन्द्र आर्य
28. श्री हरबंश कपूर
29. श्री ज्ञान चन्द

शुक्रवार, दिनांक 04 मई, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

वन निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को सॉफ्ट वुड का आवंटन

**1–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या वन मंत्री को जानकारी है वन निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को सॉफ्ट वुड का आवंटन किया जाता है?

यदि हाँ, तो यह भी सही है कि वन निगम द्वारा सॉफ्ट वुड की दरों को बढ़ाये जाने के कारण औद्योगिक इकाईयां वन निगम की लकड़ी नहीं उठा रही हैं जिसके फलस्वरूप वन निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है?

क्या वन मंत्री उत्तरांचल की आय के प्रमुख स्त्रोत वन उपज से राजस्व बढ़ाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करेंगे?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्राविधानों के अधीन यथा सम्भव।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या माननीय वन मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मैंने पूछा था कि वन निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को सॉफ्ट वुड का आवंटन किया जाता है। आपने कहा, जी नहीं। मेरी यह जानकारी है कि सॉफ्ट वुड का आवंटन किया जाता है, तो जी नहीं का तो कोई औचित्य ही नहीं और आपने कहा लकड़ी नहीं उठा रहे हैं, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। आपका खुद बयान है 50 करोड़ रुपये की लकड़ी पड़ी है और आपने यह भी जानकारी दी थी, साथ में अब हम इन्हें नीलाम करा रहे हैं, चूँकि इनके रेट हाई थे, इसलिए किसी ने नहीं उठाया, तो जी नहीं से आप क्या संकेत करना चाहते हैं, इसे स्पष्ट करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, एक शीर्ष समिति द्वारा रेट संस्तुत किये जाते हैं और फिर शासन रेट तय करता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमने प्रयास किया कि पुरानी दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करके इसको खरीदा है और फिर हमने यह भी कहा कि पहले जिस रेट पर आपने खरीदा था उसी रेट पर तैयार हो जाएं, मगर इकाईयां चाहती हैं कि हमको बहुत

सस्ता मिले, इसलिए इसकी खुली नीलामी की है और 13 हजार घन मीटर लकड़ी बेची गयी, 3 करोड़ 60 लाख रुपया हमें मिला, अच्छा दाम मिला है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहले तो आपने उत्तर दे दिया "जी नहीं"। जबकि आप सॉफ्ट वुड का आवंटन करते आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आवंटन नहीं किया जाता, खुली नीलामी की जाती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

नीलामी इस बार की है। पहले आप सॉफ्ट वुड आवंटित करते आये हैं। सॉफ्ट वुड औद्योगिक इकाइयों को देते थे, इसमें कोई खास बात नहीं। आप यही लिख देते कि 'हम देते थे' इस बार हमने ज्यादा दाम की वजह से नहीं उठाया। अब दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सॉफ्ट वुड का जो आवंटन होता था, उसका क्या रेट था, आपने क्या रेट लगाया, नीलामी में क्या रेट मिला?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

31 से 35 सेंटीमीटर गोलाई के जो रेट शीर्ष समिति द्वारा संस्तुत किये गये थे वो 1455 रुपया घन मीटर था और सरकार ने 1668 रुपया तय किया हुआ है जो 31 से 45 का है। 46 से 75 का शीर्ष समिति ने 3118 रुपया प्रति घन मीटर तय किया और शासन द्वारा 3707 रुपया प्रति घन मीटर तय हुआ। 75 से ऊपर की गोलाई का शीर्ष समिति द्वारा 3864 रुपया तथा शासन द्वारा 4452 रुपया तय हुआ। जो रेट हमको मिला वो है 31 से 45 का, हमको 1695 रुपया और 46 से 75 घन मीटर का 3135 रुपया और 75 से ऊपर गोलाई का 4452 रुपया हमको मिला।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

31 से 37 घन मीटर जो पहले होता था उसको आपने 3707 किया। वो नीलामी में कितने रुपये में बिका, आपको नीलामी से क्या मिला?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमें इसमें वास्तव में कम मिला है। 3155 मिला है, मगर बाकी में हमको ज्यादा मिला है। अगर एवरेज लगाएं तो हमें ज्यादा मिला है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आप 31 से 37 ही रेट रखते तो आपको नुकसान नहीं था। अब आप भविष्य में औद्योगिक इकाईयों को जीवित रखने के लिए सॉफ्ट वुड आवंटन नहीं करेंगे, इसे स्पष्ट कर दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

यदि शासन द्वारा निर्धारित रेट पर इकाईयाँ सॉफ्ट वुड खरीदती हैं। मान्यवर, जैसा मैंने कहा शीर्ष समिति रेट संस्तुत करती है फिर शासन द्वारा रेट तय किया जाता है ......

मान्यवर, यह कहा गया कि शीर्ष समिति संस्तुति करती है, फिर शासन जो रेट तय करता है, शासन ने जो रेट तय किया और हमने जब यह समझा कि जो शासन ने रेट निर्धारित किया है, उस पर यह खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमने खुली नीलामी की और उससे हमें ज्यादा पैसा मिला। हमें नुकसान नहीं हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, औद्योगिक इकाईयों को जीवित रखने के लिए जो एलाटमेंट होता था, क्या वह नहीं किया जायेगा। भविष्य में इन औद्योगिक इकाईयों को चालू रखने के लिए कार्य नहीं किया जायेगा और केवल प्राफिट पर व्यापार चलायेगी यह सरकार।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यदि औद्योगिक इकाईयां शासन द्वारा निर्धारित रेट पर खरीद लें तो हम आवंटन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनमाने रेट पर खरीदने की छूट नहीं दी जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है उससे नुकसान हुआ है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूँगी कि इस पर पूरा एक वक्तव्य दिया जाये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, खुली नीलामी एक पारदर्शी व्यवस्था है और हमने पारदर्शिता से कार्य किया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उद्योगों को जीवित रखने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, इस समय जो नीति बन गई है, इस समय हम उसी पर चलेंगे, बाद में फिर इस पर बैठकर विचार कर लिया जायेगा।

हर–की–पौड़ी ब्रह्मकुण्ड, हरिद्वार में गंगा जल को प्रदूषण मुक्त कराया जाना

**2–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि हर–की–पौड़ी ब्रह्मकुण्ड, हरिद्वार में गंगा का जल पीने योग्य नहीं है?

यदि हां, तो प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है?

सरकार प्रदूषण के कारणों का निदान करने की क्या योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां।

गंगा नदी के उद्गम स्थल से हरि–की–पौड़ी के मध्य नदी किनारे स्थित नगरों, कस्बों तथा गांव के मल–जल का बिना उचित उपचार किये नदी में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निस्तारण करना एवं विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा नदी में स्नान आदि करना प्रमुख कारण है।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना प्रारम्भ की जा चुकी है, जो प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो गंगा से जुड़ा हुआ है। गंगा को हम पवित्र मानते हैं। मैंने पूछा था कि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने कहा कि गंगा के किनारे स्थित नगरों, कस्बों तथा गांवों के मल–जल का बिना उचित उपचार किये नदी में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निस्तारण एवं विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा नदी में स्नान आदि करना प्रमुख कारण है। मैं तो केवल माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि ऋषिकेश और हरिद्वार में क्या अंतर है। ऋषिकेश में गंगा का जल पीने योग्य है जो हरिद्वार और ब्रह्मकुंड आते–आते दूषित हो जाता है। इसका क्या कारण है ....

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि फोकड़ नं0 10 जो हरिद्वार में है वहां पर जो हमारा संत समाज के साधू लोग जल समाधि साधुओं को देते हैं, जल की कमी की वजह से वे सारे शव भी गंगा में ऊपर ही तैरते रहते हैं। गंगा की स्कीम में अब समशान घाट भी है, क्या सरकार यह बतायेगी कि इन दोनों चीजों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि हरिद्वार में हरि–की–पौड़ी पर गंगा का जो जल है, वह प्रदूषित न हो। दूसरी बात जो मा0 मंत्री जी ने बतायी, 1985 में गंगा एक्शन प्लान प्रारम्भ हुआ था, गंगा प्रदूषण मुक्त कराने के लिए उसका पहला चरण समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी यह स्थिति है कि पानी पीने योग्य नहीं है, तो क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसके द्वितीय चरण जो है, वह कब से शुरू होगा उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने अच्छा प्रश्न किया, पहली चीज तो आपने जानना चाहा, यह पानी क्यों पीने योग्य नहीं है। इस हरि–की–पैड़ी में पानी में जीवाणु जो पाये जाते हैं वह 1425 पाये जाते है जब कि इस को 50 से कम होना चाहिए था, पहला बिन्दु तो यह है। दूसरा बिन्दु आपने यह जो गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू हुई इसके बारे में क्या–क्या प्रगति है, इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रारम्भिक चरण में 1460.2 लाख रुपये इस पर व्यय हुआ है और हरिद्वार,–ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में सीवर लाइन पम्पिंग स्टेशन नाला कीपिंग सेप्टी टैंक ट्रीटमेंट प्लान आदि का है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हमारा सवाल यह था कि द्वितीय चरण की क्या स्थिति है।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दूसरे चरण में 4239 का प्राविधान इस योजना में है। इस योजना में 20 स्कीम हैं, जिसमें अब तक 443.8 लाख रुपये रिलीज हुआ है और इसमें सुलभ शौचालय बनाये हुए हैं, जैसे–उत्तरकाशी में 8, श्रीनगर में 6, बद्रीनाथ में 3, देव प्रयाग में 8, जोशीमठ

मान्यवर, यह कहा गया कि शीर्ष समिति संस्तुति करती है, फिर शासन जो रेट तय करता है, शासन ने जो रेट तय किया और हमने जब यह समझा कि जो शासन ने रेट निर्धारित किया है, उस पर यह खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमने खुली नीलामी की और उससे हमें ज्यादा पैसा मिला। हमें नुकसान नहीं हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, औद्योगिक इकाईयों को जीवित रखने के लिए जो एलाटमेंट होता था, क्या वह नहीं किया जायेगा। भविष्य में इन औद्योगिक इकाईयों को चालू रखने के लिए कार्य नहीं किया जायेगा और केवल प्राफिट पर व्यापार चलायेगी यह सरकार।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यदि औद्योगिक इकाईयां शासन द्वारा निर्धारित रेट पर खरीद लें तो हम आवंटन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनमाने रेट पर खरीदने की छूट नहीं दी जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है उससे नुकसान हुआ है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूँगी कि इस पर पूरा एक वक्तव्य दिया जाये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, खुली नीलामी एक पारदर्शी व्यवस्था है और हमने पारदर्शिता से कार्य किया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उद्योगों को जीवित रखने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, इस समय जो नीति बन गई है, इस समय हम उसी पर चलेंगे, बाद में फिर इस पर बैठकर विचार कर लिया जायेगा।

हर–की–पौड़ी ब्रह्मकुण्ड, हरिद्वार में गंगा जल को प्रदूषण मुक्त कराया जाना

**2–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि हर–की–पौड़ी ब्रह्मकुण्ड, हरिद्वार में गंगा का जल पीने योग्य नहीं है?

यदि हां, तो प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है?

सरकार प्रदूषण के कारणों का निदान करने की क्या योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां।

गंगा नदी के उद्गम स्थल से हरि–की–पौड़ी के मध्य नदी किनारे स्थित नगरों, कस्बों तथा गांव के मल–जल का बिना उचित उपचार किये नदी में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निस्तारण करना एवं विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा नदी में स्नान आदि करना प्रमुख कारण है।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना प्रारम्भ की जा चुकी है, जो प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो गंगा से जुड़ा हुआ है। गंगा को हम पवित्र मानते हैं। मैंने पूछा था कि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने कहा कि गंगा के किनारे स्थित नगरों, कस्बों तथा गांवों के मल–जल का बिना उचित उपचार किये नदी में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निस्तारण एवं विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा नदी में स्नान आदि करना प्रमुख कारण है। मैं तो केवल माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि ऋषिकेश और हरिद्वार में क्या अंतर है। ऋषिकेश में गंगा का जल पीने योग्य है जो हरिद्वार और ब्रह्मकुंड आते–आते दूषित हो जाता है। इसका क्या कारण है ......

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि फोकड़ नं0 10 जो हरिद्वार में है वहां पर जो हमारा संत समाज के साधू लोग जल समाधि साधुओं को देते हैं, जल की कमी की वजह से वे सारे शव भी गंगा में ऊपर ही तैरते रहते हैं। गंगा की स्कीम में अब समशान घाट भी है, क्या सरकार यह बतायेगी कि इन दोनों चीजों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि हरिद्वार में हरि–की–पौड़ी पर गंगा का जो जल है, वह प्रदूषित न हो। दूसरी बात जो मा0 मंत्री जी ने बतायी, 1985 में गंगा एक्शन प्लान प्रारम्भ हुआ था, गंगा प्रदूषण मुक्त कराने के लिए उसका पहला चरण समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी यह स्थिति है कि पानी पीने योग्य नहीं है, तो क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसके द्वितीय चरण जो है, वह कब से शुरू होगा उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने अच्छा प्रश्न किया, पहली चीज तो आपने जानना चाहा, वह पानी क्यों पीने योग्य नहीं है। इस हरि–की–पैड़ी में पानी में जीवाणु जो पाये जाते हैं वह 1425 पाये जाते है जब कि इस को 50 से कम होना चाहिए था, पहला बिन्दु तो यह है। दूसरा बिन्दु आपने यह जो गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू हुई इसके बारे में क्या–क्या प्रगति है, इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रारम्भिक चरण में 1460.2 लाख रुपये इस पर व्यय हुआ है और हरिद्वार,–ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में सीवर लाइन पम्पिंग स्टेशन नाला कीपिंग सेप्टी टैंक ट्रीटमेंट प्लान आदि का है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हमारा सवाल यह था कि द्वितीय चरण की क्या स्थिति है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दूसरे चरण में 4239 का प्राविधान इस योजना में है। इस योजना में 20 स्कीम हैं, जिसमें अब तक 443.8 लाख रुपये रिलीज हुआ है और इसमें सुलभ शौचालय बनाये हुए हैं, जैसे–उत्तरकाशी में 8, श्रीनगर में 6, बद्रीनाथ में 3, देव प्रयाग में 8, जोशीमठ

शुक्रवार, दिनांक 04 मई, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

वन निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को सॉफ्ट वुड का आवंटन

**1–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या वन मंत्री को जानकारी है वन निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को सॉफ्ट वुड का आवंटन किया जाता है?

यदि हाँ, तो यह भी सही है कि वन निगम द्वारा सॉफ्ट वुड की दरों को बढ़ाये जाने के कारण औद्योगिक इकाईयां वन निगम की लकड़ी नहीं उठा रही हैं जिसके फलस्वरूप वन निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है?

क्या वन मंत्री उत्तरांचल की आय के प्रमुख स्त्रोत वन उपज से राजस्व बढ़ाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करेंगे?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्राविधानों के अधीन यथा सम्भव।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या माननीय वन मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मैंने पूछा था कि वन निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को सॉफ्ट वुड का आवंटन किया जाता है। आपने कहा, जी नहीं। मेरी यह जानकारी है कि सॉफ्ट वुड का आवंटन किया जाता है, तो जी नहीं का तो कोई औचित्य ही नहीं और आपने कहा लकड़ी नहीं उठा रहे हैं, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। आपका खुद बयान है 50 करोड़ रुपये की लकड़ी पड़ी है और आपने यह भी जानकारी दी थी, साथ में अब हम इन्हें नीलाम करा रहे हैं, चूँकि इनके रेट हाई थे, इसलिए किसी ने नहीं उठाया, तो जी नहीं से आप क्या संकेत करना चाहते हैं, इसे स्पष्ट करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, एक शीर्ष समिति द्वारा रेट संस्तुत किये जाते हैं और फिर शासन रेट तय करता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमने प्रयास किया कि पुरानी दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करके इसको खरीदा है और फिर हमने यह भी कहा कि पहले जिस रेट पर आपने खरीदा था उसी रेट पर तैयार हो जाएं, मगर इकाईयां चाहती हैं कि हमको बहुत

सस्ता मिले, इसलिए इसकी खुली नीलामी की है और 13 हजार घन मीटर लकड़ी बेची गयी, 3 करोड़ 60 लाख रुपया हमें मिला, अच्छा दाम मिला है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहले तो आपने उत्तर दे दिया "जी नहीं"। जबकि आप सॉफ्ट वुड का आवंटन करते आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आवंटन नहीं किया जाता, खुली नीलामी की जाती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

नीलामी इस बार की है। पहले आप सॉफ्ट वुड आवंटित करते आये हैं। सॉफ्ट वुड औद्योगिक इकाइयों को देते थे, इसमें कोई खास बात नहीं। आप यही लिख देते कि 'हम देते थे' इस बार हमने ज्यादा दाम की वजह से नहीं उठाया। अब दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सॉफ्ट वुड का जो आवंटन होता था, उसका क्या रेट था, आपने क्या रेट लगाया, नीलामी में क्या रेट मिला?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

31 से 35 सेंटीमीटर गोलाई के जो रेट शीर्ष समिति द्वारा संस्तुत किये गये थे वो 1455 रुपया घन मीटर था और सरकार ने 1668 रुपया तय किया हुआ है जो 31 से 45 का है। 46 से 75 का शीर्ष समिति ने 3118 रुपया प्रति घन मीटर तय किया और शासन द्वारा 3707 रुपया प्रति घन मीटर तय हुआ। 75 से ऊपर की गोलाई का शीर्ष समिति द्वारा 3864 रुपया तथा शासन द्वारा 4452 रुपया तय हुआ। जो रेट हमको मिला वो है 31 से 45 का, हमको 1695 रुपया और 46 से 75 घन मीटर का 3135 रुपया और 75 से ऊपर गोलाई का 4452 रुपया हमको मिला।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

31 से 37 घन मीटर जो पहले होता था उसको आपने 3707 किया। वो नीलामी में कितने रुपये में बिका, आपको नीलामी से क्या मिला?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमें इसमें वास्तव में कम मिला है। 3155 मिला है, मगर बाकी में हमको ज्यादा मिला है। अगर एवरेज लगाएं तो हमें ज्यादा मिला है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आप 31 से 37 ही रेट रखते तो आपको नुकसान नहीं था। अब आप भविष्य में औद्योगिक इकाईयों को जीवित रखने के लिए सॉफ्ट वुड आवंटन नहीं करेंगे, इसे स्पष्ट कर दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

यदि शासन द्वारा निर्धारित रेट पर इकाईयाँ सॉफ्ट वुड खरीदती हैं। मान्यवर, जैसा मैंने कहा शीर्ष समिति रेट संस्तुत करती है फिर शासन द्वारा रेट तय किया जाता है ......

उत्तरांचल विधान सभा (द्वितीय सत्र)

शुक्रवार, दिनांक 04 मई, 2001

निम्नांकित सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे।

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अम्बरीष कुमार
3. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4. श्री ईसम सिंह
5. श्री केदार सिंह फोनिया
6. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7. श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन
8. श्री के0 सी0 सिंह बाबा
9. श्री तिलक राज सिंह बेहड़
10. श्री तीरथ सिंह रावत
11. श्री नारायण सिंह राणा
12. श्री नारायण राम दास
13. श्री नित्यानन्द स्वामी
14. श्रीमती निरूपमा गौड़
15. श्री बिशन सिंह चुफाल
16. श्री भगत सिंह कोश्यारी
17. श्री भारत सिंह रावत
18. श्री मातबर सिंह कण्डारी
19. श्री मुन्ना सिंह चौहान
20. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
21. श्री रघुनाथ सिंह चौहान
22. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
23. श्री राजेन्द्र सिंह
24. श्री राम सिंह सैनी
25. श्री लाखी राम जोशी
26. श्री बंशीधर भगत
27. श्री सुरेश चन्द्र आर्य
28. श्री हरबंश कपूर
29. श्री ज्ञान चन्द

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-21
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	21
राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों पर होर्डिंग व साइन बोर्ड को मजबूती से लगाये जाने के सम्बन्ध में	21-22
कूड़ा निस्तारण की समस्या के सम्बन्ध में	22
चार धाम यात्रा से पूर्व यात्री बीमा के सम्बन्ध में ...	22
वर्ष 2000-2001 की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	23-24
बजट पर सामान्य चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	24-28
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	28-41
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (स्थगित)	42
रंवाई-जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजातियों में तथा तराई क्षेत्र में निवास करने वाली बंगाली जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (सर्वसम्मति से संकल्प वापस)	43-49

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तरांचल के बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में संकल्प (सर्वसम्मति से वापस)	49–58
उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प ...... (चर्चा जारी)	58
उत्तरांचल में पौलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प ...... (चर्चा जारी) ...	58
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	58–59

में 2, गोपेश्वर में 2, कर्णप्रयाग में एक, रुद्रप्रयाग में 9। श्रीनगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में घाट बनाये गये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह हरिद्वार के विषय में प्रश्न था, मैंने कहा आपने हरिद्वार में गंगा प्लान के द्वितीय चरण में कितनी धनराशि दी है, पहला चरण कब पूरा होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पहला चरण जो था वह हरिद्वार के लिए था, द्वितीय चरण जो है आठ नगरों के लिए है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विरुद्ध नोटिस दे देंगे, योजनाएं अगले दिन हाउस में प्रस्तुत कर देंगे। स्टेटमेन्ट्स क्या हैं, मैं आपके पीठ को दे दूंगा। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है कि किस ने कहा द्वितीय चरण हरिद्वार का है ही नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, एक निवेदन यह कहना चाहता हूं कि पहले तो यह जल निगम से सम्बन्धित है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह समझते कि यह उनके मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस मंत्रालय से सम्बन्धित हो शासन बता दे, जिस दिन भी इसका हो उस दिन इसको सुन लिया जाये, लेकिन महत्वपूर्ण है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जो जानकारी प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा हूँ, कहीं इससे पुनः प्रश्न नहीं उत्पन्न हो कि यह फलां विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के दायरे में जितनी भी बातें होंगी प्रश्न हम स्थगित करने जा रहे हैं। अगले सत्र के अंदर वह किसी भी दिन निर्धारित कर देंगे। उस दिन आप पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। .....

तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 सरकार द्वारा चीनी पर प्रवेश शुल्क लगाना

*1–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी पर प्रवेश शुल्क लगा देने से उत्तरांचल की चीनी मिलों से चीनी की बिक्री में कमी आयी है?

यदि हाँ, तो इस स्थिति से निबटने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है?

यदि नहीं तो क्यों?

कृषि, सहकारिता, पशुपालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी पर प्रवेश शुल्क लगा देने से उत्तरांचल की चीनी मिलों से चीनी की बिक्री में कोई कमी नहीं आयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या गन्ना, चीनी उद्योग मंत्री जी की जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश द्वारा चीनी प्रवेश शुल्क लगा देने से उत्तरांचल में चीनी मिलों से चीनी की बिक्री में कमी आई है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी पर प्रवेश शुल्क लगा देने से उत्तरांचल में चीनी की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में स्थित जो चीनी मिले हैं, उन चीनी मिलों में जो चीनी का उत्पादन होता है जब उनको ट्रांजिट हम उत्तर प्रदेश से हो करके कहीं दूसरी जगह करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे प्रदेश से जो चीनी जाती है उस पर प्रवेश शुल्क लगा है या नहीं लगा है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 2 तरह की व्यवस्था इस समय है, जो प्रदेश के अन्दर यानी उत्तरांचल के भीतर चीनी हम देते हैं, उसमें दो प्रतिशत शुल्क लगा है और जो प्रदेश से बाहर चाहे वह उत्तर प्रदेश में जाये, चाहे कहीं और बाहर जाये उसमें किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ही हम उत्तरांचल की चीनी की खपत करते हैं बड़ा एक हास्यास्पद उत्तर आया, उसमें तो 2 प्रतिशत हम प्रवेश शुल्क लगाते हैं। कहां से कहां प्रवेश लगाते हैं। प्रदेश से प्रदेश के अन्दर और जो उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगाते हैं। तो श्रीमन् प्रवेश शुल्क तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लगेगा। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में चीनी मिलों की चीनी की बिक्री का आधार क्या है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक अनुबन्ध प्रबन्ध निदेशक के साथ जो हुआ है, प्रदेश शुल्क से हमारा मतलब जो अपने प्रदेश में नगरपालिका, ग्रामीण नगर पालिका, नगर परिषद्, ग्राम सभा में या वार्डों में जो चीनी जाती है, चाहे वह लेवी की हो चाहे फ्री होल्ड की हो उस पर हम लगाते हैं। जो प्रदेश से प्रदेश का समझौता हुआ है उस प्रदेश की चीनी यहां पर आती है यहां पर टैक्स नहीं लेते हैं और यहां से जाती है उस पर भी नहीं लेते हैं और ग्राम सभाओं में जो चीनी जाती है उसमें लेते हैं।

उत्तरांचल में निजी कोल्हू धारकों को गन्ना क्रय की अनुमति

*2–श्री राम सिंह सैनी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में निजी कोल्हू धारकों को गन्ना क्रय की अनुमति है?

यदि नहीं तो क्यों?

क्या गन्ना नीति में संशोधन कर ऐसी नीति बनाने पर विचार करेंगे जिससे निजी कोल्हू के स्वामियों को भी गन्ना क्रय करने की अनुमति प्रदान की जायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

प्रदेश में सभी कोल्हू धारक निजी क्षेत्र में स्थित हैं जिनमें पट पावर कोल्हुओं को नियमानुसार लाइसेन्स एवं खरीद अनुज्ञापत्र प्राप्त कर, गन्ना क्रयकर का भुगतान करने की दशा में गन्ना क्रय करने की अनुमति है, पावर खड़ा कोल्हुओं के स्वामियों को निजी गन्ना पेरकर गुड़ बनाने की अनुमति है, गन्ना क्रय करने की अनुमति नहीं है।

पावर खड़ा कोल्हू स्वामियों को चीनी मिलों की समुचित गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने की दृष्टि से गन्ना क्रय करने की अनुमति नहीं है।

फिलहाल खड़े कोल्हू स्वामियों को गन्ना क्रय करने की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी मिलों को गन्ने की कम आपूर्ति होने के कारण।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि यह हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के जो खड़े कोल्हू लगे हुए हैं और वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है और वह गन्ने का क्रय कर रहे हैं और उद्योग धन्धे भी हैं जिनमें हजारों लोग लगे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वह जो इंस्पेक्टर हैं, वह उनसे पैसा लेते हैं और खड़े कोल्हू वाले भी गन्ना क्रय कर रहे हैं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सैकड़ों नहीं हजारों इस प्रकार के कोल्हू लगे हुए हैं, गन्ना क्रय हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और इस उद्योग धन्धे को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि हजारों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इस निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे, उनको भी गन्ना क्रय करने की अनुमति प्रदान करेंगे?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मौखिक तौर पर तो जैसा मैंने अभी कहा, ऐसा कोई विचार नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं। 1961 अधिनियम की सूची 2 में एक व्यवस्था है कि उन पर भी कर लगाया जाए लेकिन कई वर्षों से यह परम्परा रही है कि उसको निरस्त कर देते हैं क्योंकि स्थानीय

कोल्हू धारक, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव डलवाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि वो गन्ना खरीद करते हैं लेकिन जब हम उन पर पाबन्दी लगाते हैं, तो आप ही लोग खड़े हो जाते हैं, इस वर्ष भी आप लोगों द्वारा यह कहा गया कि उन पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, ये तो अपना गुड़ बनाते हैं। व्यवस्था यह है कि जो बड़े कोल्हू की बात मैं कर रहा हूं, उस पर हम टैक्स स्थगित करते आये हैं। आप लोग प्रस्ताव लाइये तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, प्रस्ताव का तो सवाल ही नहीं, जनहित में हमारी कल्याणकारी सरकार है तो इनको स्वयं ही वो कार्य करने चाहिएं जो जनहित में आवश्यक हैं। यह जनहित में भी है हजारों–हजार लोग उसमें लगे हैं उनको गन्ना क्रय करने की अनुमति होनी ही चाहिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा अगर हम टैक्स लगा देते हैं तो ये चिल्लाते हैं, ये तो अपना गुड़ बना रहे हैं, इन पर टैक्स क्यों लग रहा है, ये तो काश्तकार हैं। हमारे पास इस बात के साक्ष्य हैं कि जनप्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये हजारों–हजार नहीं हैं, ये लगभग 558 पट और खड़े कोल्हू मिलाकर हैं। खड़े कोल्हू 40 थे जिनमें से 19 अभी चल रहे हैं और बाकी बन्द हो गये। अब हम टैक्स लगाते हैं तो ये हल्ला करने लगते हैं। टैक्स नहीं लगाते तो इस प्रकार की बात करने लगते हैं। आप अपनी बात साफ करें कि हम इस पर टैक्स लगायें, क्या किसानों के ऊपर टैक्स लगाएं?

काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में कई हजार आदमी हमारे पास आये थे और मैं आभारी हूं, श्रीमती गौड़ का, मैंने उन लोगों के प्रतिनिधि को इनके पास भेज दिया, क्योंकि ये तन्हा, इस मंत्रिपरिषद् में तो नहीं कहूंगा परन्तु सरकार में हमारे हरिद्वार की नुमाइंदगी करती हैं। इन्होंने मुहब्बत से उनकी बातें सुनी और माननीय मंत्री जी से सिफारिश भी की कि कई लाख आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मान्यवर, इस सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ माननीय मंत्री जी ने एलान किया था कि गुड़ मंडी को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बना दिया जाएगा। मान्यवर, व्यापार मण्डी करीब–करीब खत्म हो चुकी है, मिलें बन्द हो गयी हैं, कोई मिल हरिद्वार में नहीं चल रही, हम लोगों ने खुशामद करके उन लोगों से चर्खियां चलवाई और हम लोगों ने कह दिया कि कोई इंस्पैक्टर आएगा तो हम उसे लठिया देंगे। बहुत साफ सी बात है, कानून हाथ में हमें मजबूरन लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछें।

काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा, क्या माननीय मंत्री जी हमें सलाह देंगे कि अपना गन्ना क्या हम फेंक दें, जो बाकी बचा हुआ है या कोई फैक्ट्री चलवा दें, वरना चलने दें, जैसे

चल रहा है। नहीं तो मजदूर और किसान बरबार हो जाएंगे।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय काजी जी बहुत बुजुर्ग और मोह वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, माननीय मंत्री जी ने भी जो पत्र दिया था, उसमें लिखा था कि यथास्थिति बनाए रखें। यथास्थिति बनी हुई है। हमने कोई शुल्क नहीं लगाया है। आपने खड़े होकर कहा, हां हमारे क्षेत्र के कोल्हुओं पर शुल्क लगाएं तो मैंने कहा मैं विचार करूँगा।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है।

मान्यवर, एक ओर तो आपने टैक्स लगा दिया और फिर आप यह भी कह रहे हैं कि हम अनुमति दे देंगे, परन्तु जो आपने उत्तर दिया है उसमें आपने कहा है कि कोल्हू स्वामियों को निजी गन्ना पैरकर गुड़ बनाने की अनुमति है, गन्ना क्रय करने की अनुमति नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है। इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि उनको गन्ना क्रय करने की अनुमति नहीं है, केवल अपना गन्ना पेरने की अनुमति दी गई है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण (मैं नहीं चाहता था) खड़े कोल्हू स्वामियों को गन्ना क्रय करने की अनुमति नहीं दी गई है। एक मिल बिल्कुल अभी खुली है। अगर हम खड़े कोल्हू स्वामियों को गन्ना क्रय करने का लाईसेन्स दे देंगे तो ये बहुत ज्यादा गन्ना खरीद लेंगे और मिलों को गन्ना नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, जो व्यवस्था चल रही है, वही रखी जाये। हमने आपके आग्रह पर ही ऐसा किया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीया मंत्री श्रीमती निरुपमा गौड़ के पत्र के बाद यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये गये लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो खड़े कोल्हू हैं, वे गन्ना पेरते रहें। इससे गन्ना कोल्हू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शासन की क्या नीति होगी कि मिलों को गन्ना भी मिलता रहे और यथास्थिति भी बनी रहे। जब माननीय मंत्री जी यह स्वीकार कर रहे हैं कि नई मिल लगने से गन्ना आपूर्ति कम हो रही है, तो क्यों न नये गन्ना कमांड एरिया को मिलाया जाये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जो गन्ना उत्तर प्रदेश से पहले आता था, वह गन्ना अब भी उसी प्रकार आ रहा है। इसलिए नये गन्ना कमांड एरिया को मिलाने की जरूरत नहीं है। एक नई मिल उत्तम मिल लग गई है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यथास्थिति की बात है। हमारी नीति के अनुसार उनको गन्ना खरीदने का अधिकार नहीं है। ....

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत जोर देकर स्पष्ट किया कि अनुमति सिर्फ इस हद तक है कि जो काश्तकार अपना गन्ना पिरोना चाहता है वह पिरो सकता है लेकिन उसे कोल्हू के लिए गन्ना क्रय करने की अनुमति नहीं है। अब दो तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। काश्तकारों के सामने जो व्यवहारिकता हमने देखी कुछ काश्तकार छोटे जोत के होते हैं जिनका गन्ना मिल तक नहीं जा सकता न उनका अपना निजी कोल्हू है। उनके पास एक ही उपचार बचता है कि वह कोल्हू को अपना गन्ना बेच देते हैं। आपने कहा दूसरे काश्तकार से गन्ना क्रय करने की अनुमति है नहीं, तो क्या सरकार ऐसे काश्तकारों के हितों के संरक्षण की क्या गारन्टी दे सकती है, न उनका कोटा है शुगर मिल पर, उनका गन्ना सप्लाई नहीं हो सकता। न उनके पास संसाधन है कि वह कोल्हू ले नहीं सकता न उनके पास चर्खी है वह अपने गन्ने की पिराई कहाँ जाकर करें ये उस गन्ने को खड़े–खड़े बरबाद होने दें इसका इन्तजाम क्या सरकार करेगी।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पहले तो मैं चाहूंगा उन लोगों की सूची बन जाय जो अपना गन्ना फैक्ट्री को नहीं दे सकते हैं। हम तो खुला जो अपना सट्टा कराना चाहते हैं हम उनका करते हैं अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे वह छोटा काश्तकार हो 5 एकड़ का, 4 एकड़ का, 2 एकड़ का, उसके पास गन्ना है और वह हमारे क्षेत्र में निवास कर रहा है तो हम उसका सट्टा क्या नहीं करेंगे। फैक्ट्रियों के लिए अगले वर्ष से गन्ने की कमी होने की आशंका है। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सट्टा आये और उसके बाद भी बाउण्ड की व्यवस्था है, कोई गन्ना नहीं जा रहा है तो बाउण्ड करायें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने उदारतापूर्वक उत्तर दिया शायद आपको यह भी जानकारी होगी कि चर्खी पर वह गन्ना बेचते हैं जो चीनी मिल को नहीं जा पाता, कोल्हू के दाम जो मिलते हैं वह चीनी के मुकाबले बहुत कम मिलते हैं। काश्तकार के दिमाग में सन्यपात नहीं हो रखा है कि वह महंगे दाम पर नहीं बेचेगा कि वह सस्ते दाम पर कोल्हू पर बेच जायेगा वह मजबूरी में कोल्हू पर बेचता है इसका मतलब उसके गन्ने की पुख्ता खरीद का इन्तजाम नहीं है। यह साबित हो गया, यह बात तो साफ है कम दाम मिलता है चर्खी पर इसलिए मंत्री जी या तो साफ घोषणा करें कि एक भी काश्तकार के गन्ने को बिक्री से बंचित नहीं रखेगी, यह गारंटी सरकार देती है तो मैं संतुष्ट होकर बैठ जाऊंगा। आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमारी निगाह में कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई जिसका गन्ना मिल में नहीं जा रहा है जो गन्ना क्रय केन्द्र हैं वहां पर जा सकता है यदि आप मेरी जानकारी में 2–4 छोटे किसान लेंगे हम उनका प्रबन्ध करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि गन्ना मिलों को गन्ने की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या मा0 मंत्री जी और यह सरकार घोषणा करेंगी।

कहने का भाव है कि 115 और 120 रुपये कुण्टल है जब कि वहां गन्ने में चीनी की मात्रा यहां से कम है अगर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तो गन्ना ज्यादा पैदा होगा।

उद्यान विभाग की मधुमक्खी पालन योजना

*3–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्यान विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन योजना के अन्तर्गत कितने मौन–पालन फार्म राज्य में कहां–कहां चलाया जा रहा है?

इन फार्मों से मौन–पालन कृषकों को अनुमानतः प्रति वर्ष कितनी मधुमक्खी (कीट) उपलब्ध कराया जा रहा है?

क्या सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु मौन पालन नीति घोषित करने पर विचार करेगी?

यदि हां तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

समाज कल्याण रेशम एवं उद्यान मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

चूंकि प्रश्न दिनांक 03–05–2001 को दिनांक 04–05–2001 के एजेंडे द्वारा सचिवालय में प्राप्त हुआ है। अतः सूचना एकत्र की जा रही है।

यथोक्त।

ऐसे कार्यक्रम पूर्व से ही संचालित हैं। फिर भी ऐसे कार्यक्रमों में सुधार लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यथोक्त।

उत्तरित।

श्री अध्यक्ष जी–

यह अन्तरिम उत्तर है, इसलिए यह प्रश्न नियमानुसार पुनः निर्धारित किया जायेगा।

प्रदेश में भेषज संघ तथा कुमाऊँ विकास निगम द्वारा जड़ी बूटी की निकासी

*4–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भेषज संघ तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा जड़ी–बूटी की निकासी का कार्य 10 प्रतिशत कमीशन पर किया जा

रहा है, जिससे बिचौलियों को प्रोत्साहन मिल रहा है?

यदि हां तो क्या सरकार ने भी खरीद की कोई नीति बनाई है?

यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है तथा वह कब तक लागू की जावेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायण राम दास–

जी, प्रश्न आंशिक रूप से स्वीकार है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्यरत भेषज संघ तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा जड़ी–बूटी निकासी कार्य पर 10 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। किन्तु भेषज संघ अपने प्रशिक्षित सदस्यों के माध्यम से संग्रहण कार्य कराता है अतएव बिचौलियों को प्रोत्साहन का प्रश्न नहीं उठता।

सरकार ने अभी कोई नीति तय नहीं की।

प्रश्न नहीं उठता।

नीति तय होने के बाद ही प्रारूप बन सकेगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया यह विरोधाभास उत्तर है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार्य किया गया है। अनुचित कहते हैं कि बिचौलियों का इसमें प्रश्न नहीं उठता है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अजयपुर में जो जड़ी–बूटी सीधे काश्तकारों द्वारा दी जाती है उसका उचित मूल्य काश्तकारों को नहीं मिल पाता है इसके लिए उसके रेट तय करेगी क्या उसमें सरकार उसका नया क्रय केन्द्र खोलेगी।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, बिचौलियों को कमीशन मिलने की बात तो गलत है, वास्तविकता यह है कि भेषज संघ की स्थापना की गई है और क्रय समिति, माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि यह क्रय समिति के आधार पर होता है उसके आधार पर भेषज संघ, भेषज क्रय–विक्रय का कार्य करता है जहां तक किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की बात है इसमें किसानों को कहीं पर भी नुकसान होने का कोई उदाहरण अभी तक नहीं आया।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसमें दो प्रश्न हैं और दो एजेंसियां हैं– एक है कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और एक है भेषज संघ और माननीय मंत्री जी ने पहले चरण में यह स्वीकार किया है कि आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम जड़ी–बूटी विकास कार्य 10 प्रतिशत कमीशन पर किया जाता है और दूसरा उत्तर माननीय मंत्री जी ने अभी दिया है उसमें उनका कहना है भेषज संघ अपने प्रशिक्षित सदस्यों के माध्यम से संग्रह का कार्य करता है इसका मतलब है कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को तो आप स्वीकार्य करते हैं कि यह बिचौलिये हैं भेषज संघ प्रशिक्षित सदस्य हैं प्रशिक्षित सदस्य किस प्रकार से सीधे काश्तकारों

से भेषज संघ करता है या उन्होंने अपने भेषज संघ में कोई प्रशिक्षित कार्यकर्ता वहां भेजा है। जो वहां जड़ी–बूटी कलेक्शन करें।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, बिचौलिया तो कोई नहीं है वास्तविकता यह है कि सरकार की ऐजेन्सी के माध्यम से भेषज संघ क्रय–विक्रय कार्य करता है और उस एजेंसी में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम भी शामिल है, गढ़वाल मण्डल विकास निगम भी शामिल है और भेषज संघ भी शामिल है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब 10 प्रतिशत कमीशन देता है कुमाऊँ मण्डल विकास निगम मान्यवर, जड़ी–बूटी चूंकि दुर्लभ भी है, कम भी है। इस समय जड़ी–बूटी समाप्त हो गई है जो यहां से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक इसलिए जड़ी–बूटी का यह उत्तरांचल राज्य है, जड़ी–बूटी के संरक्षण के लिए विशेष जागरूक होंगे, मैं इसे गम्भीरतापूर्वक लेकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इनको अलग–अलग जड़ी–बूटियों के शोध के आधार पर दाम निर्धारित करें। इनके क्रय केन्द्र बनायें ताकि सीधे गवर्नमेन्ट रेट स्थापित करे, कुमाऊँ मण्डल को भी आप रखते हैं, भेषज संघ को भी आप रखते हैं ताकि दुर्लभ जड़ी–बूटियों की जो इस समय क्रान्ति आई है इसका लाभ उत्तरांचल को मिल सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जब से सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, तब से जो जड़ी–बूटियों में प्रशिक्षित लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनकी बहुत सी गोष्ठियां हो चुकी हैं। सूची भी बन गयी है कि इस हाइट पर ये जड़ी–बूटी हैं और इस हाइट पर ये जड़ी–बूटी हैं, उसके अनुसार इसकी कार्य योजना तैयार हो रही है और इसलिए जो उत्तर है उसके अन्दर कहीं कठिनाई वाली बात नहीं है। बिचौलिया का मतलब होता है, वो व्यक्ति जो बीच में आकर लाभ उठाए, ये तो संस्थाएं हैं, ये तो लाभ लेंगी ही।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और थोड़ा विस्तारित कर दिया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जड़ी–बूटी का काम स्थानीय श्रमिक करते हैं, उत्तर में कहा गया जिला संघ द्वारा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम 10 प्रतिशत का कमीशन उसके ट्रांजिट पर लेता है, यह भी सर्वविदित है कि जड़ी–बूटी के एक्सट्रेक्शन पर वन विभाग का दखल है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जड़ी–बूटी उत्पादन करने वाले व्यक्ति या जिस सीमा तक जड़ी–बूटी का विदोहन वन क्षेत्र से अनुमति दी जाती है, तो क्या सरकार ने उसका कोई सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है या फिर काश्तकारों को सीधे बिना कमीशन के मार्केट में बेचने की अनुमति हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जड़ी–बूटी विक्रय का सीधा अधिकार दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन वन विभाग से निकासी के सन्दर्भ में निवेदन है कि वन विभाग से जड़ी–बूटी निकासी पर कमीशन लिया जाता है वो सरकार की एजेन्सी लेती है, उसी के आधार पर उसका व्यवस्थापन वगैरह सम्भव होता है।

छोटे गन्ना पिराई क्रैशर बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में

5—श्री ईसम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तरांचल शासन से ऐसा निर्देश हुआ है कि छोटे गन्ना पिराई क्रेशर बन्द करा दिये जायें?

यदि नहीं तो, ऐसे क्या कारण है कि छोटे गन्ना पिराई क्रेशर बन्द होने के क्या कारण हैं?

क्या शासन गन्ना क्रेशरों को बन्द होने से बचाने हेतु प्रयास करेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत—

जी नहीं।

छोटे गन्ना पिराई क्रेशर इकाइयों को चीनी मिलों की तुलना में अधिक लाभ न होने के कारण कुछ इकाइयों के स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से ही क्रेशरों को चालू नहीं किया गया।

गन्ना क्रेशरों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा समाधान योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत क्रेशर स्वामी बार—बार मण्डी शुल्क जमा करने के स्थान पर एक मुश्त धनराशि मण्डी शुल्क के रूप में जमा करने का विकल्प दे सकता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ईसम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पैरा नं0 2 में इस बात को माना है कि कुछ इकाइयों के स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से ही क्रेशरों को चालू नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक पेराई क्रेशर में लगभग 20—25 परिवार पलते हैं। रोजी—रोटी मिलती है, तो सरकार की क्या मंशा होगी कि लाखों लोग जो इस रोजगार से जुड़े हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि गुड़ मण्डियों में, ये लोग क्रेशर बन्द कर देंगे तो स्वाभाविक है, गुड़ मण्डियां बन्द हो जाएंगी, इससे व्यापार पर असर पड़ेगा और राजस्व पर भी असर पड़ेगा। मेरे संज्ञान में आया है कि मंगलौर गुड़ मण्डी का व्यापार 70 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। ....

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पैरा नं0 2 में इस बात को माना है कि कुछ इकाइयों के स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से ही क्रेशरों को चालू नहीं किया गया है। अपने उत्तर में यह बात मान लिया है। तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक पेराई क्रेशर में लगभग 20—25 परिवार पलते हैं, उनको रोजी—रोटी मिलती है, तो सरकार की क्या मंशा होगी कि लाखों लोग जो इस कारोबार से जुड़े हैं, वे बेरोजगार होंगें तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था करेगी नं0 1। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि गुड़ मंडियां, यदि ये लोग क्रेशर बंद कर देंगे तो स्वाभाविक है कि गुड़ मण्डी प्रभावित होगी, व्यापार पर

असर पड़ेगा और राजस्व पर भी इसका असर पड़ेगा तो मैं संज्ञान में लाया हूं कि मंगलौर गुड़ मण्डी का व्यापार 70 प्रतिशत प्रभावित हुआ है, तो गुड़ मण्डियों का व्यापार प्रभावित न हो और सरकार को राजस्व की न हो, इसके बारे में सरकार क्या व्यवस्था करेगी।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जहां तक कोल्हू बन्द करने का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा कि हमने कोई पाबन्दी किसी पर नहीं लगायी है, स्वेच्छा से या इच्छा न होने के कारण या प्रॉफिट नहीं हुआ जो भी रहा हो। मंडी शुल्क लगाया गया था, तो कारण रहा था अब उसमें संशोधन कर दिया गया है, दो प्रतिशत को एक प्रतिशत कर दिया गया है। उसके कारण मंडियों का व्यापार बढ़ गया है।

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने एक प्रश्न यह भी किया था कि गुड़ मंडी का व्यापार 70 प्रतिशत पेराई क्रेशरों के माध्यम से प्रभावित हुआ है। तो इसकी व्यवस्था सरकार क्या करेगी कि गवर्नमेन्ट को राजस्व में हानि न हो, इसकी क्या व्यवस्था करेगी?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, उत्तर तो मैंने वही दिया था कि जो मंडियां प्रभावित हुई वे कुछ शुल्क बढ़ा देने से हुई थी। इस पर विचार किया गया शासन द्वारा जो मंडी शुल्क 2/– रु0 वह 1/– रु0 कर दिया गया। इसके बाद भी हमने एकमुश्त समाधान व्यवस्था कर दी है जो पूरे वर्ष अलग–अलग शुल्क न देकर वर्ष में कासेस के हिसाब से क्रेशर वाले और मण्डी वाले अपने हिसाब से एकमुश्त जमा कर सकते हैं, इसमें कुछ उनको रिलीफ कर दिया है।

अतारांकित प्रश्न

मुनस्यारी व धारचूला को जनजातीय क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री केदार सिंह नेगी, एडवोकेट, संगठन मंत्री भारतीय विकलांग क्लब द्वारा हस्ताक्षरित व प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित ज्ञाप जो जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त तहसील मुनस्यारी व धारचूला के जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने के सम्बन्ध में, मुख्य सचिव उत्तरांचल को दिनांक 22–01–2001 को प्रेषित किया गया था, पर कार्यवाही की प्रगति क्या है?

श्री नारायण राम दास–

सम्बन्धित पत्र अभी तक अप्राप्त है।

मुनस्यारी व धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में

2–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या मुख्य मंत्री जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करेंगे?

यदि हां तो कब तक?

यदि नही तो क्यों?

श्री नारायण राम दास–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय संविधान के तहत किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

मुनस्यारी एवं धारचूला में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने हेतु याक प्रजाति के प्रजनन हेतु नर याक उपलब्ध कराया जाना

3–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य के हिमालय से लगे क्षेत्रों में याक बहुपयोगी व्यवसाय हो सकता है?

यदि हां तो उक्त भौगोलिक दुर्गम क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी व धारचूला के ऊंचाई वाले कतिपय पशुपालन केन्द्र में याक प्रजाति के प्रजनन हेतु नर याक उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां।

जी नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पशुपालन केन्द्र स्थापित नहीं है। याक झुण्डों में स्वछन्द रूप से रहना पसन्द करते हैं, इसलिए इन्हें पशुपालन केन्द्रों पर रखा जाना सम्भव नहीं है। फिर भी धारचूला एवं मुनस्यारी में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु अंशदान के रूप में याक प्रजाति के सांड दारिन्दा पद्धति पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

राज्य में जिलेवार उद्यान विशेषज्ञों की तैनाती के सम्बन्ध में

4–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बतायेगी कि राज्य में जिलेवार कितने उद्यान विशेषज्ञ तैनात हैं?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि औद्यानिक को प्रोत्साहित किये जाने एवं कृषकों की समस्याओं को त्वरित निराकरण के लिए विकास खण्ड पर उद्यान विशेषज्ञों की तैनाती की जायेगी?

यदि हां तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण राम दास–

उत्तरांचल राज्य में कुल 10 उद्यान विशेषज्ञ (राजपत्रित अधिकारी) तैनात हैं, जिनमें 3 उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार (पौड़ी), ढकरानी (देहरादून) एवं हल्द्वानी (नैनीताल) में उद्यानों के विकास सम्बन्धी कार्य देखते हैं। शेष 7 उद्यान विशेषज्ञ चौबटिया, ज्योलीकोट एवं श्रीनगर शोध केन्द्रों में तैनात हैं। जो केवल शोध कार्य करते हैं।

जी नहीं।

अभी कोई विचार नहीं।

उत्तरित।

गढ़वाल कोऑपरेटिव बैंक, ऋषिकेश की अनियमितताओं के सम्बन्ध में

6–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 07–03–2000 को गढ़वाल कोऑपरेटिव बैंक, ऋषिकेश, जनपद देहरादून की अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री रतीश नेगी, श्री सतीश कुमार मौर्य आदि ने जिलाधिकारी, देहरादून को शिकायती पत्र दिया था?

यदि हां, तो शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की गयी थी?

यदि हां, तो लगाये गये आरोपों में से कितने आरोपों में से कितने सही पाये गये थे?

यदि आरोप सही लगाये गये थे, तो अनियमितता करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

श्री रतीश नेगी, श्री सतीश कुमार मौर्य आदि के शिकायती पत्र में कुल 21 शिकायती बिन्दु/आरोप उठाये गये थे, जिनकी जांच जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, देहरादून से करायी गयी। जांच अधिकारी ने कुल 15 आरोपों में से 12 पूर्ण रूप से तथा 3 आंशिक रूप से सही पाये।

जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन उप निबन्धक, सहकारी समितियां, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा गढ़वाल कोऑपरेटिव बैंक लि0, ऋषिकेश की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर दिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश, दिनांक 02–11–2000 में धारा 35(1) की कार्यवाही के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये जिसके क्रम में उप निबन्धक द्वारा उक्त बैंक के संचालक मण्डल का निलम्बन समाप्त कर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35(1) की पूर्व में संचालित कार्यवाही प्रारम्भ रखी गयी। उप निबन्धक, गढ़वाल मण्डल का पद समाप्त होने एवं उप निबन्धक द्वारा उ0प्र0 में योगदान करने के कारण कार्यवाही अपूर्ण रही। अतः अपर निबन्धक, उत्तरांचल

को धारा 35(1) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

वाहन दुरुपयोग के सम्बन्ध में

7–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक, सहकारी समितियां, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने मध्य जनवरी, 2001 में जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून में वाहन दुरुपयोग आदि के विषय में कोई जांच आदेश दिये हैं?

यदि हां, तो जांच आदेश क्या हैं?

तथा जांच में क्या प्रकाश में आया?

जांच में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां।

उप निबन्धक, सहकारी समितियां, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, देहरादून द्वारा उनके पत्रांक 4942–44, दिनांक 19–1–2001 में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल, देहरादून को इस प्रकरण में बैंक अभिलेखों का स्वयं विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये हैं।

जांच में निम्न दो तथ्य प्रकाश में आये हैं :

1–वाहन को किराये पर लेने के सम्बन्ध में निबन्धक के परिपत्र सी–61 में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

2–वाहन का उपयोग बैंक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी किया गया है।

जांच आख्या के आधार पर निम्न दो आदेश जारी किये :

1–सचिवालय, जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून को किराये के वाहन के बिल का भुगतान न करने के आदेश दिये गये हैं।

2–पूर्व में बैंक वाहन के दुरुपयोग के दोषी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68(1) के अन्तर्गत जांच हेतु जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल, देहरादून को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी सहकारी समितियों को बैंक का सदस्य बनाया जाना

8–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह मई, 1999 में जिला सहकारी बैंक

लिमिटेड, देहरादून के तत्कालीन प्रशासक द्वारा किन्हीं फर्जी सहकारी समितियों को बैंक का सदस्य बनाया गया था?

यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

प्रकरण की जांच जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, देहरादून द्वारा की जा रही है।

जांच में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण।

उत्तरांचल राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों की फाइलें उ0प्र0 में लम्बित होने के सम्बन्ध में

9–श्री भारत सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं विभागीय कार्यों से सम्बन्धित फाइलें उत्तर प्रदेश शासन में अभी तक लम्बित हैं?

यदि हां, तो इन फाइलों को उत्तरांचल शासन द्वारा देहरादून कब तक मंगवाया जायेगा?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां।

कृषि निदेशालय (विभागाध्यक्ष) उ0प्र0 लखनऊ स्तर पर उत्तरांचल से समस्त पत्रावलियां प्राप्त हो गई हैं। उ0प्र0 शासन द्वारा अभी तक उत्तरांचल शासन को कुल 942 पत्रावलियां उपलब्ध कराई गई हैं। श्रेणी दो एवं उससे ऊपर के अधिकारियों की अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या 1488/12–1–2001–2558/2000, दि0 4–4–2001 द्वारा 43 अधिकारियों को उत्तरांचल राज्य आवंटित कर दिया गया है। इनकी अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियों के बारे में उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया है।

पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुसंधान के सम्बन्ध में

10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुसंधान से उत्पन्न उन्नतिशील प्रजातियों पी0आर0के0–1 (कौणी), पी0आर0ए0–88001 (रामदाना), पी0आर0एम0–3 (मडुवा) के बीज सरकार द्वारा संचालित बीज भण्डारों को उपलब्ध करा दिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं, केवल मिनीकिट एवं प्रदर्शन के रूप में पी0आर0के0–1 (कौणी) तथा पी0आर0ए0–2801 (रामदाना) के बीज वितरित किये गये हैं।

अभी तक इन उन्नतशील प्रजातियों के बीज कृषकों को प्रदर्शन हेतु मिनीकिट के रूप में उपलब्ध कराया गया है और अब इन्हें बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है।

गढ़वाल में अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र के कार्य प्रारम्भ के सम्बन्ध में

11–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में स्थापित अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है?

यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र के बकरियों के नस्ल सुधारने हेतु कितने नर अंगोरा पशु सेवा केन्द्रों में उपलब्ध किया जा चुका है?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां।

अंगोरा बकरे प्रजनन हेतु पशु सेवा केन्द्रों में रखे जाने की कोई व्यवस्था योजना में नहीं है। अंगोरा नर बकरों अथवा वर्णसंकर बकरों को इच्छुक बकरी पालकों को बकरी प्रजनन हेतु अंशदान पर दिये जाने की व्यवस्था है। योजना में 2000–01 तक कुल 548 नर बकरों को क्षेत्र में अंशदान पर वितरित किया जा चुका है।

भैंसवाड़ा पशुपालन केन्द्र, अल्मोड़ा के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में

12–श्री ईसम सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भैंसवाड़ा पशुपालन केन्द्र, अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड बीज उत्पादन चारा परियोजना में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1 जुलाई, 2000 से पहले कार्यरत थे?

और उनको 1 जुलाई, 2000 को कार्य से हटाये जाने का क्या कारण था?

क्या शासन हटाये गये कर्मचारियों को पुनः सेवायोजित किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

श्री बंशीधर भगत–

भैंसवाड़ा पशुपालन केन्द्र, अल्मोड़ा के बीज उत्पादन चारा परियोजना में दिनांक 1 जुलाई, 2000 से पहले 28 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत थे।

1 जुलाई, 2000 को चारा उत्पादन परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवायें स्वतः ही समाप्त हो गयीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजपुर पूरनपुर नादेही चीनी मिल लि0, ऊधमसिंह नगर के भू–स्वामियों को चीनी मिल में स्थायी रूप से रोजगार के सम्बन्ध में

13–श्री के0 सी0 सिंह बाबा–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि राजपुर पूरनपुर नादेही चीनी मिल लि0 (जिला–ऊधमसिंह नगर) की स्थापना के समय भू–स्वामियों (दानवीरों) के साथ हुए लिखित करार के अनुसार भू–स्वामियों (दानवीरों) के वारिसों को उनकी योग्यता के आधार पर चीनी मिल में स्थायी रूप से रोजगार दिया जाना था, परन्तु स्थायी रोजगार न देकर उन्हें दैनिक वेतन पर रखा गया है?

क्या सरकार लिखित करार के अनुसार इन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां, समझौते के आधार पर सभी 39 भूमिदाताओं के वारिसों को पूर्व में ही चीनी मिल में स्थायी रोजगार दिये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार, रोजगार दिया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब मैं नियम 301 ले रहा हूं।

राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मुख्य मार्गों पर होर्डिंग व साइनबोर्डों को मजबूती से लगाये जाने के सम्बन्ध में

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग–72 व अन्य मुख्य मार्गों पर लगे विभिन्न कम्पनियों के प्रचार–प्रसार हेतु लगाये गये होर्डिंग व साइनबोर्ड जो कि मजबूती से नहीं लगाये गये हैं, आंधी तूफान से मुख्य मार्ग पर गिर जाते हैं, नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक तो है ही, यातायात व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि रात्रि में दुपहिया वाहन आदि मार्ग में गिरे हुए होर्डिंग/साइनबोर्ड पर टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह की कई दुर्घटनायें दिनांक 4–5–2001 को हुई, जिसकी सूचना तत्काल मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई। पुलिस द्वारा उक्त गिरे हुए होर्डिंग व साइनबोर्ड हटाये गये, जिससे और दुर्घटना होने से बचाया जा सके। मुख्य मार्गों पर नागरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होर्डिंग/साइनबोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाय या तकनीकी

सलाह लिए बिना होर्डिंग/साइनबोर्ड लगाने की अनुमति न दी जाय।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

कूड़ा निस्तारण की समस्या के सम्बन्ध में

श्री हरवंस कपूर–

मान्यवर, डिस्पैन्सरी रोड, देहरादून एवं अमृतकौर रोड देहरादून क्रासिंग पर एक कूड़ादान स्थित है। इस कूड़ेदान में धामावाला, सरनीमल बाजार, पल्टन बाजार, डिस्पैन्सरी रोड, अमृतकौर रोड, घोसी गली और यहां तक कि लूनिया मुहल्ला तक का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और इसके पश्चात् नगर निगम अपने वाहनों से इस कूड़े को शहर से बाहर ले जाता है।

मान्यवर, डिस्पैन्सरी रोड एवं अमृतकौर रोड, पर सब्जी मण्डी भी है, जहां पर सब्जियां खुले में बिक्री हेतु रखी जाती हैं। इसके साथ–साथ इन्हीं क्षेत्रों में कई मीट एवं मुर्गे के मांस की दुकानें भी हैं। साथ ही साथ ऐसे दुकानदारों ने जीवित मुर्गे भी वहां पर रखे हुए हैं और ग्राहकों के मांगने पर, वहीं पर मांस काटा जाता है और ग्राहकों को बेचा जाता है। उपरोक्त कारणों से यह पूरा क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील है। क्षेत्र में कूड़ादान स्थित होने के कारण कभी भी कूड़ों से उत्पन्न होने वाले कीटाणु सब्जी और मांस में प्रवेश कर सकते हैं और यह सब्जी एवं मांस पूरे शहर के लोग यहां से खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सब्जी और मांस के माध्यम से यह कीटाणु घर–घर तक पहुंच सकते हैं और नगर में महामारी फैल सकती है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व की समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चार धाम यात्रा से पूर्व यात्री बीमा के सम्बन्ध में

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, चार धाम की यात्रा के दौरान तमाम दुर्घटनायें होती रहती हैं। सरकार के ऊपर सभी प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने की नैतिक जिम्मेदारी होती है परन्तु संसाधनों की कमी के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना शासन और प्रशासन को करना पड़ता है। इसी विषय में ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0, कोटद्वार शाखा ने एक अल्पकालीन बीमा जनता पॉलिसी का प्रस्ताव किया है जिसके अनुसार प्रत्येक यात्री से मात्र 15/– रुपये प्रिमियम लेकर सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाएगा। यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व प्रत्येक यात्री को बीमा करवाना यदि अनिवार्य कर दिया जाय तो दुर्घटना की दशा में राहत, बीमा राशि के रूप में तत्काल उपलब्ध होगी। ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी के प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर सरकार को प्रेषित कर रहा हूँ। जनहित में तत्काल निर्णय करने की आवश्यकता है।

मैं सदन में चर्चा करके तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

वर्ष 2000–2001 की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

इस पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देता हूँ। अब मैं नियम–300 ले रहा हूँ।

* श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सन् 2000–2001 की जिला योजना में विकास कार्यों के जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी, उनका क्रियान्वयन हेतु कोई भी धनराशि सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है। इसके विपरीत 2001–2002 की जिला योजनाओं की बैठकें हो रही हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों का कथन है कि उन्हें कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त नहीं बताये गये हैं। अतः वे 2000–2001 की जिला योजना के प्रस्तावों के प्रति कुछ भी स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार गठन के छः माह व्यतीत हो चुके हैं। जिला योजना में विकास के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए कोई गाइडलाइन सरकार द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। मंत्री, इंचार्ज एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बनाई जाने वाली जिला योजनायें नये राज्य में मखौल बनकर रह गई हैं, स्पष्ट नीति न होने के कारण जिले के अधिकारी भ्रमित हैं। जिला योजनाओं के प्रति सरकार एवं अधिकारियों की उदासीनता के कारण जनहित में किये जाने वाले कार्य उपेक्षित पड़े हैं। अतः मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर मान्यवर ....

* ......मान्यवर, 2000–2001 में जनपद नैनीताल में हुई, जिसमें मैं स्वयं थी। यहां इंचार्ज हमारे वित्त मंत्री थे, यहां हैं नहीं, उनकी उपस्थिति में हुई, जिसमें निशंक जी उसके प्रभारी मंत्री के रूप में थे, हम सब ने मिलकर जो जिला योजना वहां स्वीकार की उस पर सब की मुहर लग गई। जिला कमिश्नर का मैं उदाहरण देती हूँ, कागज भी लाई हूं। मान्यवर, 2000–2001 का आप अपना हिस्सा छोड़कर इतनी सड़कें बना सकते हैं। एम0एल0ए0 बैठे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे, सब होकर वह कागज निकाला गया लेकिन उसके लिए पैसा अवमुक्त नहीं हुआ। यह कागज जिस पर मैंने लिखा है कि 2000–2001 में जिला योजना द्वारा उक्त सड़कों हेतु धन अवमुक्त नहीं हुआ, उसकी सूची हमारे पास है, जो मंजूर की गई थी, मैं लायी हूं और इसका पैसा नहीं दिया गया, अगर इसमें कोई तकनीकी बात है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हम जिला योजना 2000–2001 में बैठे, सब ने मिलकर उसे तय किया उसके लिए पैसा नहीं मिला। अब 2000–2001 के लिए हमारे यहां एक बैठक ऊधमसिंह नगर में हुई तो मैंने कलैक्टर से पूछा, कुछ होना है, पुराना तो मिला नहीं, उसने कहा गाइडलाइन तो अभी है नहीं, अब देखिये क्या होता है। नैनीताल में हुई नहीं 2000–2001 में जो सड़कें मंजूर हुई, हम लोगों ने बयान दे दिया, उत्साहित होकर, ये सड़क बन जायेंगी, उसका तो पैसा नहीं मिला। 2001–2002 में हम खुद शर्म के मारे जा ही नहीं रहे हैं, उसमें और बैठक बुलायी भी नहीं जा रही है क्योंकि आपसे अभी गाइडलाइन नहीं मिली। मान्यवर, यह स्थिति जनप्रतिनिधियों की है, उसमें मंत्री गन्ना भी बैठे थे। उसमें पार्टी लाइन पर कुछ नहीं है, सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में हैं और उनके द्वारा घोषित वह कुछ भी धन उसमें अवमुक्त नहीं हुआ मैं नहीं जानती। फाइनेन्स क्या है और वह क्या करता है। हमें बताया गया कि ये सड़कें स्वीकार हो गई, यह बन

---

*नोट–वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेंगी। हम लोग ने बयान दिया कि ये–ये सड़कों की मंजूरी दी गई, उसके लिए धन अवमुक्त हुआ। मान्यवर, यह स्थिति खराब है। 2001–2002 आ गया वह तो मिला नहीं पैसा दिलवा दीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, इन्दिरा जी तो बहुत ही भिज्ञ सदस्या हैं, धारा 300 आप उसको ले आयी हैं, औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य में नहीं आता, मैं इसको निरस्त करता हूं।

बजट पर सामान्य चर्चा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत यह अनुरोध किया है कि प्रक्रिया कार्य स्थगन नियमावली 1958 उ0प्र0 की जो अभी तक हमारा उत्तरांचल राज्य पर प्रभावी और लागू है उसके नियम 187 के अन्तर्गत आज बजट पर साधारण चर्चा करने के लिए 5 दिन का प्राविधान है। मान्यवर, जो कार्यसूची हम लोगों को प्राप्त हुई, कार्य मंत्रणा की सिफारिश में आई, कार्यसूची हम उनको देंगे। क्या उसके अनुसार साधारण चर्चा के लिए मात्र दो दिन नियत किये गये हैं? मान्यवर, इसी प्रकार नियम 188 के अन्तर्गत जो मांग है उसके पारण के लिए 24 दिन से अनधिक का प्राविधान इस नियमावली के माध्यम से किया गया है।

इस प्रकार नियम 188 के अन्तर्गत जो मांगे हैं उन पर विचारण और उनके पारण के लिए 24 दिन की अवधि का प्राविधान इस नियमावली से मान्यवर, किया है। मान्यवर, एक यह भ्रम है कि उत्तर प्रदेश की असैम्बली बहुत बड़ी थी 425 सदस्य थे और यहां हम मात्र 30 सदस्य हैं, इसलिए मान्यवर वहां 5 दिन उपयोगी थे। यहां 5 दिन का समय बहुत कम है, इसलिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है और मांगों के लिए मात्र 6 दिन का समय निर्धारित है, लेकिन मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही हम उठाकर देख लें तो 5 दिन चर्चा होने के बाद भी मात्र 40–42 सदस्यों से अधिक लोग उस चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और अगर आप यहां की कार्यवाही उत्तरांचल विधान सभा की उठाकर देख लें, जब प्रथम सत्र हुआ था और जिसमें महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पर चर्चा हुई थी तो यहां लगभग 30–30 सदस्य माननीय मुख्यमंत्री सहित ने उसमें भाग लिया था और अपनी बात कही थी। तो यह उत्तर प्रदेश में अधिक सदस्य थे यहां बहुत कम हैं इसलिए हम कम समय में अपनी चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उस सम्बन्ध में तथ्य रख रहा हूं, इनका अवलोकन करने का कष्ट करें। आपसे यह अनुरोध है कि हमने जो मान्यवर, मांगे कीं, मान्यवर, कितने विभाग हैं एक–एक दिन में 8–8 बजट पर चर्चा लगाई गई, विधेयक बारहवें दिन तय होता

*नोट–वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और आप सोचिये कि 8 विभाग हैं एक सदस्य कटौती प्रस्ताव रखता है अन्य सदस्य भी कटौती प्रस्ताव रखते हैं अपने क्षेत्र से सम्बंधित विवाद है तो मान्यवर एक दिन में हम 8 विभागों का बजट कैसे तैयार कर पायेंगे और अगर नहीं कर पायेंगे तो जिस उद्देश्य को लेकर हम यहां विधान सभा का सत्र आहूत करते हैं तो क्या हम चर्चा सम्पूर्ण कर सकेंगे तो मान्यवर यह जो हमारा उद्देश्य है पूरा नहीं होता।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी इस नियमावली के अन्तर्गत सदन 90 दिन साधारणतया चलेगी, यह प्राविधान है। यह आप जानते हैं कि बजट सत्र जो होता है वह सर्वाधिक अवधि का होता है उसकी अवधि के मुकाबले कोई सत्र नहीं होता है। कुल मिलाकर 11 दिन बजट सत्र, 3 दिन जनवरी का सत्र आवश्यक है, अगले 6 दिन में एक सत्र और 3 दिन का, मान्यवर 90 दिन न हों 40 दिन, 35 दिन, होते हैं लेकिन इस हिसाब से इस उत्तरांचल राज्य में मुश्किल से 17 दिन 20 दिन भी हम सत्र पूरा नहीं कर पायेंगे। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उत्तरांचल विधान सभा के पहले अध्यक्ष हैं और यह विधान सभा इस राज्य की है हम जो परम्परा डालेंगे वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेसीडेन्स होंगे, निर्देशक होगा। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का मुख्य आदर्श विचार–विमर्श है और मान्यवर विचार मेरी बपौती नहीं है और हमने तो मान्यवर भारतीय संस्कृति में राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा–प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विशिष्टतायें जरूर होती हैं और हम को तो उस विशिष्टता के ग्रहण करने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए तो हम जो 30 लोग यहां बैठे हैं हर बजट पास करने के लिए, अधिक है और उसके सुझाव से इस प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए अधिक सहयोग हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को आप निर्देश देने का कष्ट करें।

मान्यवर, इंदिरा जी बहुत वरिष्ठ हैं, सैनी साहब हैं, काजी साहब हैं, हम लोग तो जूनियर हैं 10 मिनट, 15 मिनट भी देंगे तो भी आपका आदेश मानकर इसमें काम चलाना ही पड़ेगा। अगर आप इस हिसाब से भी देख लें कि प्रत्येक सदस्य 20–25 मिनट तक इतने लम्बे बजट पर अपनी बात कहेंगे और फिर वित्त मंत्री जी का उत्तर होगा, यह उनका अधिकार है। उत्तर में सब लोगों के सुझाव को समाहित करते हुए वित्त मंत्री जी अपनी बात कहेंगे, तो एक घण्टे का उनका समय और मान्यवर, 3 साढ़े 3 तक हम कार्य–स्थगन और जो औचित्य के प्रश्न हैं, ये सारा कार्य करते हैं, 5 बजे तक सदन बैठता है तो दो दिन में बहुत ज्यादा भी समय आप देंगे तो 4 घण्टे का समय साधारण बजट पर चर्चा के लिए मिलता है, तो सदस्यों की रूचि और भागीदारी को देखते हुए यह समय अपर्याप्त है और यही स्थिति मांगों पर मतदान के लिए और विचार के लिए जो समय रखा है, उसके लिए भी कम है, तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सार्थक विचार–विमर्श की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो कार्य संचालन नियमावली है, इसके प्राविधानों पर विचार करते हुए, मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और नियमानुसार इसमें समय वृद्धि की घोषणा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है, यह स्पष्ट है। लेकिन आपका एक सुझाव है, मैं आपके सुझाव को महत्व

देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी यह चाहते हैं कि सदन अधिक समय तक चले परन्तु हम लोग तो आपकी परम्पराओं पर चल रहे हैं। आपकी सरकार ने तो एक दिन में बजट पास कर दिया था।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अगर हमारी परम्पराओं पर चलेंगे तो जो हाल हमारी सरकार का हुआ, वही आपका भी होगा। हमारी सरकार एक साल पांच महीना चली थी। हम तो चाहते थे कि आपकी सरकार 5 साल चले लेकिन अगर आप एक साल चलाना चाहते हैं तो अच्छा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने स्वीकार तो किया कि उनका बुरा हाल हुआ। मान्यवर, मैं अम्बरीष कुमार जी की भावनाओं का आदर करता हूं, सदन को उचित समय मिलना ही चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, इस समय विशेष परिस्थितियों के कारण उतना समय नहीं मिल पा रहा है लेकिन मान्यवर, जो कार्यमंत्रणा समिति, जिसके आप अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य पक्ष के भी माननीय सदस्य हैं और विपक्ष के भी माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं, सबसे मिलकर कार्यक्रम तय किया, उसके अन्दर जितना दोष हमारा है, उतना ही दोष विपक्ष के माननीय सदस्यों का भी है। मैं मौलिक रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि सदन लम्बा चलना चाहिए। इस बार आप कृपा करके सहयोग कर दीजिए, अगली बार से हम सदन का समय बढ़ायेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अगर आप अवधि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो जो 5 बजे तक का समय है उसको बढ़ा दीजिए लेकिन सबको समुचित समय मिले इसकी व्यवस्था आप कर दीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हम तैयार हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसे एक व्यवस्था का प्रश्न समझें क्योंकि औचित्य के ऊपर प्रश्न का तो अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को जानकारी दी, चूंकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में होती है और यह सदन सर्वमान्य रूप से उसे स्वीकार करता है, यह परम्परा है। मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति ने केवल आज तक का कार्यक्रम निर्धारित किया है, 21 तारीख तक का कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। इसलिए यह कहना कि कार्यमंत्रणा समिति ने 2 दिन के लिए चर्चा निर्धारित कर दी और अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए 5 दिन निर्धारित कर दिये या 7 दिन निर्धारित कर दिये, ये तो हकीकत से परे है। ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश यह नहीं है कि केवल दो दिन ही सामान्य चर्चा हो और केवल 5–7 दिन ही अनुदान मांगों पर चर्चा हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं मैं इस को स्वीकार करता हूं कि सदन का समय अधिक होना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिन यह कार्यक्रम आया था आपकी मौन स्वीकृति उसी दिन से हो गई थी।

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन के विचार सुनने के बाद जो सुझाव दिया गया है उस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा कर ली जाएगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 300 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 300 के अन्तर्गत हम ऐसे विषय उठाते हैं जो कहीं न कहीं से इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हों। मैं श्रीमन् आपके माध्यम से चूंकि नेता सदन स्वयं उपस्थित हैं। इस सम्मानित सदन के प्रथम सत्र की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करूँगा। विधान सभा के प्रथम सत्र में ही मेरे द्वारा उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूलों को मान्यता देने का मुद्दा उठाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इन सभी विद्यालयों को अनुदान शिक्षा में लाया जायेगा। जबकि इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की गुंजाईश भी नहीं है। मैं यह सिफारिश करूँगा जो भी हम प्रश्न उठाते हैं हम अपनी जानकारी और अनुभव के अनुसार सही तरीके से उठाते हैं। यहाँ कहीं पर विरोधी दल की तरफ से सरकारी दस्तावेजों के अभाव में जो प्रश्न उठाते भी हैं तो भी सरकारी पक्ष उसमें जो आता है वही अन्तिम माना जाता है। ऐसी व्यवस्था है। हम उसका अनुसरण करते हैं। यह ऐसा प्रश्न है उसके अंदर जो इस सदन के अन्दर चर्चा हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस सदन के अन्दर कहा तत्काल 1–2 महीने का समय इसमें लगेगा। हम इन स्कूलों को अनुदान शिक्षा में ले लेंगे, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ तथा अध्यापक, अभिभावक और यहाँ तक कि छात्र विधान सभा के निकट जाकर अनशन पर बैठ गये। पिछले सत्र के दौरान उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे साथ जाकर, जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त कराया था। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने.......

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, एक बात औचित्य के प्रश्न के अन्दर यह कहां से आ गई, लेकिन मैं आपको सूचित कर दूं ये जो अनुदान सूची का मामला है। इसके अन्दर कार्यवाही चल रही है इस बात को एप्रिसिएट करेंगे। इस बार तो आप मेरी बात से सहमत होंगे यहां प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हैं उन सब को अनुदान सूची में रखने का मतलब यह है कि उन सब को उतना रुपया हम लोगों को आवंटन करना है उनकी सूची बन रही है, इस पर कार्यवाही भी चल रही है और यह बात सही है कि एक महीने, दो महीने के अन्दर यह काम न हो पायेगा, हम कर रहे हैं, इस सरकार ने जितना काम किया है उतना तो 50 सालों में नहीं हुआ है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, दो–चार महीने बाद तो सभी सड़क पर होंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, पहले तो आप उन्हें सड़क पर लाते हैं, फिर उन्हें जूस पिलाते हैं, ये प्रक्रिया तो आपकी है। लेकिन यह प्रक्रिया जारी है मुस्तैदी से हम इस काम को कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हमारे सामने पत्र भी है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का शिक्षा विभाग ने उल्लेख भी किया है। मैं उसके लिए आभारी हूँ और श्रीमन्, पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसमें आप तत्काल निर्णय करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन ने आश्वासन दिया फिर यह प्रश्न 300 के दायरे में नहीं आता है मैं इसको निरस्त करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

**श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियुक्त उ0प्र0 के विकल्प पत्र भरने वाले साढ़े चार हजार शिक्षकों को एकतरफा कार्यमुक्त किये जाने की घोषणा की है, शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अगले माह से उन शिक्षकों का वेतन आहरण भी नहीं किया जायेगा। उत्तरांचल की सरकार को उ0प्र0 सरकार से मिलकर उ0प्र0 में जाने के इच्छुक शिक्षकों के लिए रिक्तियों के आधार पर समायोजन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों को डराने–धमकाने की यह नीति राज्य सेवा में कार्यरत इन कर्मचारियों के प्रति घोर अन्याय एवं भयाक्रान्त करने की चेष्टा है। उ0प्र0 राज्य में जाने के लिए विकल्प देने वाले यह शिक्षक घोर असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, और दिल्ली में राष्ट्रपिता की समाधि पर उपवास में बैठे हुए हैं। उ0प्र0 की सरकार ने उन्हें अपनी इच्छा के प्रदेश में रहने के विकल्प मांगे थे, उन्होंने उ0प्र0 में रहने का विकल्प दिया था, अब उन्हें वहाँ भी नहीं लिया जा रहा है। न तो यह विधि सम्मत है न ही ऐसा करने की संविधान इजाजत देता है। इस प्रकार की घोषणा से जहां एक ओर उत्तरांचल प्रदेश के मध्य उ0प्र0 का शीत युद्ध प्रारम्भ हुआ है, वहीं शिक्षक अपने और अपने परिवार के प्रति असुरक्षा समझ रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। .....

समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश ने लेने से इन्कार कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जिनसे इनकी सीधी वार्ता हुई यह

**वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मंत्री जी बतायेंगे कि उसकी बात स्वाभाविक है, उनका धरने पर बैठना उनका परेशान होना, जब वो अनशन–धरने पर बैठे तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सूचना मिली द्वाराहाट से लेकर गढ़वाल तक कि इन्हें एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया जायेगा और अगले माह से इनका वेतन आहरण भी नहीं किया जायेगा। मान्यवर, आप विधि विशेषज्ञ भी हैं, उनका आहरण भी कोई नहीं रोक सकता है, ऐसे राज्य कर्मचारी को कार्यमुक्त भी नहीं किया जा सकता है। आपने किसी कारणवश कहा हो यह आप जाने, मेरा ख्याल है कि आपने केवल कहा, परन्तु कोई शासनादेश नहीं दिया क्योंकि वह इसी उत्तरांचल की सेवा में है, इसलिए वह जाना चाहते हैं, जब वह कार्यमुक्त हो जायेंगे तो मान्यवर, हमारा जो भी इस प्रकार प्रयास है, उत्तरांचल सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से क्योंकि उस समय के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो रिक्तियां होती जा रही हैं 3 साल–10 साल में इनको समायोजित करें। एक हजार रिक्तियां उनके पास इस समय हैं, और जो जाना चाहते हैं जायें। इसको भले ही मुख्यमंत्री जी ने उस दिन आप से यह कहा हो कि इन्हें भेज सकते हैं, अपने आप रखें और आपने भी उस पर दबाव नहीं बनाया हो लेकिन मेरा अनुरोध है कि यह जाना चाहते हैं तो उनके अनुरूप आप इसका प्रयास करें। जो रिक्तियां हैं सरकार को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वह अपने यहां के लोगों को रखेंगे यह भावना भी बहुत उचित नहीं है, इसका समाधान यही है कि वह इन्हीं को लें और क्रमशः बना दिया जाये। यह अवलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न 47 सौ परिवारों से जुड़ा है और तात्कालिक भी है क्योंकि उन्हें अगले माह से वेतन न मिलने का भय बना है, अतः मान्यवर, कार्य रोककर इस पर चर्चा कर लीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यह प्रश्न तात्कालिक नहीं है यह लगातार चला आ रहा है लेकिन विषय तो महत्वपूर्ण है। हमारे इन शिक्षकों ने 18–10–2000 को, 4000 शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश का विकल्प भरा तो हमारी माननीय राजनाथ सिंह से बातचीत हुई, हमने कहा जिन शिक्षकों ने आपका विकल्प भरा है, उनको कृपया आप ले लीजिए, क्योंकि यहां जो नान प्लान का खर्चा है वह बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस सम्बन्ध में लगभग 10 हजार हमारे सिंचाई कर्मी यहाँ पर बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहा है।

मान्यवर, कारण यह है कि हम उनको कैसे भेज दें, उत्तर प्रदेश सरकार उनको अपने यहां ले नहीं रही है। शिक्षकों के बारे में बताता हूँ। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, यही कहा अच्छा देखेंगे–अच्छा देखेंगे। हम यह समझे कि शायद यह बात हो जाएगी, फिर भी हम इस प्रक्रिया को ढंग से करते। आपके शिक्षकों ने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नेता यहां की भी हैं और आप नेता उत्तर प्रदेश के भी शिक्षकों की हैं, आपका ही संगठन है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का, उन्होंने यहां रास्ता जाम कर दिया और इतने लोग रास्ते पर बैठ गये कि मुझे रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। आप यह भी कहना चाहते हैं कि हमको तुरन्त भेजिए, फिर आप ये भी कहना चाहते हैं कि यदि वो नहीं ले रहे हैं तो हम यहीं रहेंगे, हमें तनख्वाह दीजिए। आखिर दोनों काम कैसे करें। आप स्वयं उत्तरांचल विधान सभा की वरिष्ठ सदस्या तथा हमें शुभकामना देने वाली हैं, एक दल की आप नेता हैं। आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ? हम उत्तर प्रदेश के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। यह बात ठीक है कि हमने उनको डराने के लिए कहा कि हम उनको वेतन नहीं देंगे, आप जाइये और आपका टिकट बन जाएगा, आपको माला पहना

देंगे, सब बातें मैंने कही। इसको मैं ना नहीं करता, लेकिन आखिर हम क्या करें और इसलिए हम प्रयत्नशील हैं, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार बात को नहीं मानेगी तो हम केन्द्र सरकार को बीच में लाएंगे। इन लोगों को, जो विकल्पधारी हैं, उत्तर प्रदेश के, इनको हम जल्दी से जल्दी भेज देंगे ताकि यहां पर जो हमारे नौजवान लोग बेकार हैं, उनको हम रोजगार देंगे, तो यह हमारी नीति है।

हरिद्वार जनपद में रुड़की तहसील से डी0वी0सी0 के पद का स्थानान्तरण

*श्री राम सिंह सैनी–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय, लोकमहत्व के और तात्कालिक विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए। मान्यवर, हरिद्वार जनपद में रुड़की तहसील में एक डी0वी0सी0 का पद था, वहां से वादों का निस्तारण होता था लेकिन अभी पिछले दिनों में यह पद वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया और ए0डी0एम0 को अधिकार दे दिया गया कि उन वादों की सुनवाई वो करें, ए0डी0एम0 के पास इतना काम ऑलरेडी है कि जो सालों से चकबन्दी के वाद हैं, वो लम्बित पड़े हैं, इनका निस्तारण वो क्या करेंगे। चूंकि सी0डी0ओ0 का चार्ज भी उन्हें ही दे दिया गया है और मान्यवर, चकबन्दी के इस प्रकार के वाद हैं, चाहे वो ए0सी0ओ0 के लेविल पर हों, चाहे वो सी0ओ0 के लेविल पर हों, चाहे एस0ओ0सी0 के लेविल पर हों, वहां पर वाद इतने दिनों से लम्बित हैं और किसानों का इतना शोषण वहां हो रहा है। श्रीमन्, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह के नार्म्स बनाए गये हैं कि ए0सी0ओ0 को एक महीने में 2 या 3 गांव के चक्कर काटने चाहिएं, लेकिन मान्यवर, वो चक्र बना नहीं रहे हैं। इसी तरह से सी0ओ0 स्तर पर मान्यवर, ये मानक निर्धारित किये गये हैं कि इतने वादों को निस्तारित होना चाहिए, वहां वाद निस्तारित नहीं हो रहे हैं, एस0ओ0सी0 स्तर पर भी यही हाल है और हमारे जनपद में त्राहि–त्राहि मची हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था में और भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। चकबन्दी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके द्वारा हमारी कृषि में बहुत सुधार हुआ है, चकबन्दी की वजह से हमारी उपज बढ़ गयी है। पहले छोटे–छोटे खेत हुआ करते थे तो उनमें ट्रैक्टर नहीं चल पाता था, मैं आज माननीय चौधरी चरण सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उनका जो आशय था वह आज समाप्त हो रहा है और यह जो अधिकारी वर्ग है, किसानों का शोषण कर रहा है, समयबद्ध तरीके से वहां कार्य नहीं कर रहा है और वादों का निस्तारण नहीं हो रहा है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां 8–8, 10–10 साल से चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है लेकिन उस प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया है तो इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायी जाए.....

मान्यवर, तो इस लोकमहत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

वित्त राजस्व एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट कराया है, वह उचित है और यह

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी सही है कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद वादों का निस्तारण हो रहा है। दो बन्दोबस्त अधिकारी तैनात किये गये हैं। ये अधिकारी प्रतिमाह डेढ़ दो सौ से अधिक वादों का निस्तारण नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी सीमा है। कोई न्यायालय समाप्त नहीं किया गया है। संचालय चकबन्दी का कार्यालय नहीं है, लेकिन उसका कार्य अन्य सम्बन्धित कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन उन्हें जितने वादों का निस्तारण करना था वे कर भी रहे हैं। लगभग 9, 10, 15 वर्षों से वाद लम्बित हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। इस दिशा में सरकार कोशिश करेगी।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, ज्यादातर वाद रुड़की तहसील के हैं। इसलिए क्या यह व्यवस्था की जायेगी कि ए0डी0एम0 सप्ताह में दो दिन रुड़की में बैठें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, जो उप संचालक चकबंदी हैं वो 150 वादों का ही निस्तारण कर सकते हैं। रुड़की तहसील में बैठने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

सूचना निरस्त की जाती है।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री के कपाट खुलने से तीर्थाटन तथा गर्मी बढ़ने से पर्यटन प्रारम्भ हो गया है। इसी के साथ विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अव्यवस्थित हो गयी है। भीषण गर्मी और लगभग 8–10 घंटे विद्युत कटौती स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को परेशान कर रही है। पेयजल की किल्लत उत्पन्न होने से भारी असुविधा हो रही है। छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। तथा विद्युत आपूर्ति में भारी कटौती से पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हरिद्वार नगर यात्रियों के भारी आवागमन के सन्दर्भ में कटौती से मुक्त रखा जाता था, परन्तु इस वर्ष तो दिन में लगभग 5 घंटे तथा शाम को भी एक घंटा से दो घंटा कटौती से यात्री भी बदहाल और परेशान हैं। इस विद्युत आपूर्ति की अनियमितता से पर्यटन एवं तीर्थाटन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है। मान्यवर, विद्युत आपूर्ति बहुत अनियमित चल रही है। जैसा मैंने अपनी सूचना में कहा है यह तीर्थाटन हमारी अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार भी है। लोग आशा लगाते हैं कि तीर्थाटन का समय आयेगा, तो हमें लाभ होगा। ......

मान्यवर, हमारे यहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षायें चल रही हैं, वहां रात को बिजली नहीं आती दिन में बिजली आती है दो–दो घंटा बिजली न आये दिन और सुबह साढ़े 9 बजे से बन्द हो फिर शाम के 3–4 बजे आये जो कि गर्मी का सर्वाधिक मौसम होता है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कल बता रहे थे 8 घंटा से 12 घंटा हो गये लेकिन जिस हिसाब से मौसम चल रहा है कल बारिश हुई, ओले गिरे फसलों को भारी नुकसान

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुंचा थ्रेसिंग हम समय से कर नहीं पा रहे हैं। श्रीमन्, और इस हालत पूरे प्रदेश में एक त्राहि–त्राहि मची है लोग परेशान हैं। विद्युत आपूर्ति की अनियमितता को लेकर मान्यवर, दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का पूर्ववर्ती प्रदेश जो था उ0प्र0 उसका एक समझौता हिमांचल प्रदेश से भी हुआ, जो मेरे संज्ञान में आया हमारे यहां का जो कुल विद्युत उत्पादन जल विद्युत उत्पादन का है वह इस समय लगभग एक तिहाई के करीब आ गया है। इसके चलते यानि लगभग 7 मिलियन यूनिट का इस वक्त हमारे यहां खर्च है और हमारा जो विद्युत उत्पादन है मात्र 4–5 मिलियन यूनिट के बीच में प्रति दिन और घाटा पूरा करने के लिए, कमी पूरी करने के लिए, मान्यवर, उ0प्र0 तापीय बिजली घरों से बिजली प्रतिपूर्ति करनी है, लेकिन मान्यवर, उ0प्र0 स्वयं संकट में है कोयले का पैसा वह दे नहीं पा रहा है कोयले का पैसा जब हमसे माँगा जाता है तो हमारा उत्तर भी साफ है जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाता तो हम किस आधार पर कोयले का पैसा दें और जब हमारा बंटवारा हो, आप उस सम्पत्ति में से उस पैसे को काट लें। हमारा हिमांचल प्रदेश से जो समझौता हुआ है। 4 विद्युत गृह हमारे हैं डालिका है, ढकरानी का है, छिब्रो का है, इन से 25 प्रतिशत और जो कुलहाल का है, उससे 20 प्रतिशत विद्युत उत्पादित होता है वह हम हिमांचल प्रदेश को देते हैं, देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हिमांचल प्रदेश क्या करता है ये जो उ0प्र0 का सौतेला व्यवहार है वह तो हमारे सामने है। आज प्रदेश को अस्तित्व में आये 6 माह हो गये। हमने अलग से अपना पावर कार्पोरेशन भी बना लिया, मान्यवर, यहाँ जो अधिकार मिले वह वितरण का मिला और पारेषण का मिला जो जनरेशन का अधिकारी है वह आज भी हमारे पास नहीं है इसलिए उस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है लेकिन जो हिमांचल प्रदेश है, वह भी हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमें भी अत्याचार सहने की आदत हो गयी है। उ0प्र0 तो बड़ा है, वह तो कर ही रहा है लेकिन हिमांचल भी कर रहा है। टोटल जो विद्युत उत्पादित है उनका 25 प्रतिशत कुलहाल का 20 प्रतिशत मिलाकर कुल विद्युत उत्पादन का 13 प्रतिशत, हम साल भर देने के लिए उनका अनुबन्धित हैं। मान्यवर, हम बाध्य हैं लेकिन हिमांचल प्रदेश आफ सीजन में 13 परसेंट लेता है और जब गर्मी आती है तो 13 परसेंट के बजाय 25 परसेंट ले लेता है जिससे हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन पहले से कम है और कंगाली में आटा गीला हो जाता है। विद्युत उत्पादन में कमी और उसमें भी हिमांचल प्रदेश 13 के बजाय 25 प्रतिशत का हिस्सा ले ले। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं यदि स्थिति नहीं सुधरी तो इसका हमारे तीर्थाटन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

संसदीय एवं उर्जा मंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह तात्कालीक और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न में ज्यादा नहीं कहूँगा मैं जानना चाहता हूं कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं "पेरीमियम प्रॉबलम्स" इस प्रकार हम वर्षों से देख रहे हैं कि बिजली की जो समस्या है वह एक तरह से गम्भीर समस्या पिछले लम्बे समय से बनी आई है लेकिन मा0 सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है हरिद्वार आदि की, जो तीर्थ स्थान हैं इन स्थानों की अपेक्षा की थी कि इनको 24 घंटे बिजली मिले। इस बीच भी अब के 24 घंटे बिजली मिली है।

..... इसी बीच में एक–दो घण्टे आपको बिजली मिली है, लेकिन कुल मिलाकर जो बिजली की स्थिति है और उत्तर भारत में जो बिजली की स्थिति है उस स्थिति के कारण माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ तो बंटवारा हुआ और 13 मार्च

को जो हमारा समझौता हुआ उस समझौते में 3 महीने के अन्दर हम लोगों ने पावर शेयरिंग की बात कही थी, उस सम्बन्ध में 2 बार हमारी अधिकारी स्तर पर बात हो चुकी है और उस बातचीत के बाद पावर शेयरिंग का हम निश्चित रूप से निश्चय कर लेंगे। जो हिमांचल से लाने की बात है और उत्तर प्रदेश से ले लें और फिर हम प्रबन्ध करके ग्रिड से व्यवस्था करेंगे। मैं सोचता हूँ कि आपकी चिन्ता से मैं सहमत हूँ और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक व्यवस्थाओं में सीमाओं के अन्दर कैसे सुधार करें, क्योंकि 13 मार्च में जो सुधार किया गया उसकी अगली कड़ी में हमारा अगला समझौता होना है, मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम पूरे हिस्से को ले लेंगे। मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई कार्य स्थगन का विषय हो जायेगा, मैं मानता हूँ कि बिजली कम है और बिजली कम आने के बाद कार्य भी स्थगित करें तो मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर विचार करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा हमारी बात–चीत हो जायेगी, लेकिन बात–चीत तो हो सकती है। मान्यवर, अगर कृषि सूख गई तो किसानों का क्या होगा, बरसात में तो वैसे ही बिजली की आवश्यकता कम होगी और पानी भी ज्यादा आयेगा तो मैं इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूँ कि कब तक इस स्थिति में सुधार हो जायेगा ताकि हमारी यात्रा का सीजन और खेती का सीजन न निकल जाये। गन्ने में पानी की जरूरत है, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इन्होंने गन्ना, खेती, कृषि की बात कही है, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताऊं कि विशेषकर के ऊधमसिंह नगर में हम पहले से ही बिजली दे रहे हैं, लेकिन हरिद्वार के अन्दर पिछले एक अप्रैल के बाद हम लोगों ने कोशिश की। पहले केवल किसानों को 8 घण्टे बिजली मिलती थी और अब सामान्य रूप से हमने उनको 12 घण्टे देने को कहा है और जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से कहीं–कहीं पर 12 घण्टे और कहीं–कहीं पर किसी दिन 10 और 11 घण्टे बिजली दी जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों को 12 घण्टे से बढ़ाकर 13 घण्टे की व्यवस्था कर रहे हैं और यह राष्ट्रीय समस्या है। हम 3 महीने के अन्दर उसको हल करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि 15–20 दिन में कर देंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि अम्बरीष जी ने जिस क्षेत्र के बारे में, वह मेरे पड़ोस का क्षेत्र है। मैं वाटर ग्राउन्ड पर रहता हूं, माननीय मंत्री जी आपका ध्यान चाहता हूं चूंकि हिमांचल सरप्लस स्टेट है, पावर के मामले में तो यदि आप निजी स्तर पर उत्तरांचल सरकार अपने स्तर पर एक सम्पर्क साधे और जो आप को 13 प्रतिशत का है, वह आप इस सीजन में देंगे। यह जो 25 परसेन्ट देंगे, 13 परसेन्ट देंगे और उसको हम दूसरे सीजन में एडजस्ट करेंगे, तो इससे यहां पर पावर का यह जो कट है उसमें आप काफी रिलीफ दे सकते हैं, यह मेरा सुझाव है।

*श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य गठन के उपरांत राज्य के सीमावर्ती जिलों में हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, चोरी, लूट की घटनायें आये दिन घटती रहती हैं। अतः कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि अपराध करने के पश्चात् भी इनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही न होना, गुंडा तत्वों का खुले आम घूमना यह साबित करता है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही करने में अक्षम है। अतः जिला हरिद्वार की मुख्य घटनायें इस बात की प्रतीत हैं कि गांव श्यामपुर, थाना झबरेड़ा में फूलसिंह का अपहरण व हत्या कांड का खुलासा न होना तथा गांव–टांडा हसनगढ़, थाना–भगवानपुर में मृतक रामस्वरूप व राजेन्द्र की हत्या व लूट कांड तथा गांव नगला कोयल, थाना–मंगलौर में श्री उत्तरसिंह के मकान में बदमाशों द्वारा डकैती कांड तथा इसी गांव की कु0 वंदना अपहरण कांड तथा गांव–सुल्तानपुर, थाना–लक्सर में दो साधुओं की हत्या कांड, गांव सरहेड़ी, थाना–भगवानपुर में रमेश का अपहरण व हत्या कांड तथा बहादराबाद, थाना–ज्वालापुर में प्रिंस उर्फ विसू अपहरण व हत्या कांड तथा गांव–खटका, थाना–कोतवाली रुड़की में अशोक अपहरण व हत्या कांड तथा गांव–लालचन्दवाला, थाना–मंगलौर में श्री सुखपाल अपहरण कांड आदि ऐसे उदाहरण हैं।

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, आये दिन होने वाली इन गंभीर घटनाओं के कारण जनता में भय व आक्रोश है, स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। इसलिए इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं, इसी संदर्भ में, मान्यवर, कुंवर पाल, सन ऑफ छज्जू दिनांक 26/27 अप्रैल की घटना है, यह भी लूट और हत्या का मसला है। 9 नवम्बर से आज 30 अप्रैल तक एक ही जिले की यदि बात लें तो हत्या की घटना 39 हुई है, डकैती 1, अपहरण 23, बलात्कार 7, यदि इसमें मीरा बलात्कार काण्ड को भी जोड़ दें तो 8, लूट 19, चोरी 114। तो मान्यवर, कहने का मतलब यह है यदि इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए, जैसे– फूल सिंह अपहरण की बात है, पुलिस प्रशासन की जानकारी में है कि उसकी हत्या हो चुकी है, उसके परिवार के लोगों से 4–4 बार एफीडेविड लिये जा चुके हैं, 4–4 थानों में तफतीश चेंज हो चुकी है और पुलिस प्रशासन को यह भी मालूम है कि अपहरण करने वाले कौन हैं, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, 9 महीने बीत गये हैं किन्तु अपराधी खुले आम उसी गांव के आस–पास घूमते रहते हैं। ऐसे ही उत्तर सिंह के मकान में रात को एक बजे, यह 29/30 मार्च की घटना है और इन लोगों ने पहचाना कि कुछ आस–पास के गांव के लोग हैं, नामजद रिपोर्ट दर्ज है। अपराधी आस–पास के गांवों में घूम रहे हैं, इसके बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना इस बात को साबित करता है कि पुलिस प्रशासन वास्तव में सक्षम नहीं बल्कि अक्षम है और यह जवाबदेही सरकार की होती है। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। यदि मुल्जिम, गुण्डा एलीमेंट बाहर घूमता है तो कानून व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त नहीं हो सकती है। तो मान्यवर, इसमें कई इस तरह के मसले हैं, काशीपुर का एक मसला आया है। जिला ऊधमसिंह नगर का। शाम का वाकया था और चैती मेला में 6 बदमाशों ने गाड़ी से उतर कर गौरव भारद्वाज को गोली मारी, विक्रान्त के दोनों हाथ काट दिये। आज तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बदमाशों का कुछ अता–पता नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये विशेषकर उत्तरांचल के सीमावर्ती एरिए में ज्यादा होती हैं, इसका सीधा कारण यह है कि कानून व्यवस्था तब तक चुस्त–दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक पुलिस प्रशासन चुस्त–दुरुस्त नहीं होगा और पुलिस प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। तो मान्यवर, क्योंकि यह प्रश्न लोक महत्व का भी है, अविलम्बनीय भी है, और तात्कालिक भी है, इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूँ। ......

*काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, अभी उन्होंने अत्तर सिंह का नाम। दलित वर्ग के लोग थे। वे थाने गये तो डांट कर भगा दिया गया उनको। फिर मैं खुद साथ लेकर उनको गया तो उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। शायद अभी भी जिसको गोली लगी थी वह अस्पताल में है और मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी 2–4 रोज से मैं इधर हूँ तो उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। इसके अतिरिक्त कई मामले ऐसे हैं जो नहीं बयान कर सके। मेरे पड़ोस में भरेडा गांव है। वहाँ एक बढ़ई के लड़के का अपहरण हुआ। एक ही घर था उनका और उसका मर्डर कर दिया गया। आज लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन यह है कि हमारी रोटी बागों से चलती है और मेरे बाग लेने अभी तक कोई खरीददार नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि साहब अपहरण हो जाता है और रात में हम लोग रह नहीं पाएंगे। बडा गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी तो कह देंगे कि आप हरिद्वार में आ करके उस पर डिबेट करा लीजिएगा। मैं इतना अर्ज करता हूँ, वकील आप बहुत बढ़िया हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं कह रहा था अगर आप नेता सदन न होते और वकील होते तो तहलका कांड में मैं आपको वकील करता और जनहित याचिका दायर करता और आप सब को सजा करा देते, लेकिन क्या करें आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है। तो मान्यवर, मैं इतना अनुरोध करूंगा। मैंने रपट मोहर्रिर से यह कहा कि यह स्टैंडिंग आर्डर है, आई0जी0 को कोई रिपोर्ट झूठी भी लाये तो उसको दर्ज कर लें। बाद में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पर दफा 182 चलाओ। आज झूठी तो क्या थाने में सच्ची रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती। या तो बड़ी–बडी रकम मांगी जाती है 5–5 हजार रुपये रिपोर्ट दर्ज कराने की फीस हो गई है और या फिर कोई एम0पी0/एम0एल0ए0 जाये तो उसके लिहाज से रिपोर्ट लिख दी जाती है, मजिस्ट्रेटों के कहने पर मजिस्ट्रेट यह लिख कर दे रहे हैं कि आप यह रिपोर्ट दर्ज करें। मान्यवर, उत्तरांचल बना तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि अपने डी0जी0पी0 को या आई0जी0 वगैरह को आदेश दें कि वे जैसे उत्तर प्रदेश में थे कि कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए तो उसमें दरोगा जी की सहमति जरूरी न हो, वरना यह कह देते हैं कि दरोगा जी दौरे पर गये हैं, भाग जाओ, तो वह जरूरी है ताकि उनके सामने सही आंकड़े आएं। वरना लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ....

मान्यवर, निजी पेड़ काटना, वन विभाग ने पुलिस को सौंपा है। अगर पुलिस से यह कहा जाय कि फलां जगह लाश पड़ी है तो पुलिस यह कहती है तूने मारा होगा। कहीं पर पेड़ कट रहा हो तो वहाँ दरोगा जी, दिवान जी पहले पहुँचने की कोशिश करते है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जल्दी से झटक लें, जो भी झटकना है, निजी पेड़ काटने से इसको अलग रखना चाहिए। पुलिस का काम लोगों की जानमाल की सुरक्षा करना है वह करना चाहिए, वन विभाग वाले अपना कार्य करें, मेरा यह आग्रह है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, कोई निश्चित घटना की बात हो, यहां 10 घटनायें आपने गिना दी कुछ लिखित, कुछ अलिखित, जो बोला उसका भी मैं जबाव दे दूंगा। मेरा निवेदन है, वाकया मैं आपके सामने रखूँगा तो आप कहेंगे क्यों रखा, मैं दो साल की घटनायें रखता हूं। पिछले वर्ष 76 घटनायें हत्या की हुई, अब कि बार 67 हैं। मैं नहीं कहता, नहीं हुई, फिरौती अपहरण की 4, अब की बार 2 हैं। इस तरह घटनाओं में कमी तो आई है कारण क्या है हमारा जो उत्तरांचल है, उसमें जो पर्वतीय भाग है, इसमें तो कोई अपराध नहीं होता, यहां के नागरिक हैं, जो बहुत सीधे हैं, यहां का जो पटवारी है वह कहता है कि चल तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है कत्ल का, वह उसके पीछे–पीछे चला जाता है बिना रस्सी के। तो इस तरह की घटना इसलिए होती है कि बार्डर मुज्जफरनगर से आप भी इस बात से भिज्ञ हैं, मुजफ्फरनगर के अन्दर फिरौती हत्या ये सब अपराध है बहुत ज्यादा है जो बार्डर मिला हुआ है वहां से आते हैं, अपराध करते हैं। आपने जितने बताये हैं, हमने सब लगभग वर्क आउट कर दिये हैं। हम लोग बहस करेंगे मैं आपको पूरा विवरण दूंगा क्योंकि कार्य स्थगन एक निश्चित सूचना के ऊपर होती है। मान्यवर, यहां की पुलिस ने जो प्रशंसनीय काम किये उनमें से एक आपको बताऊँ जो रुड़की के अन्दर है। माननीय, सैनी जी गौर से सुन लीजिए–हमारे यहां की पुलिस ने जो बहुत बड़े अपराधी थे उनको पकड़ा है, बहुत ही नामी शातिर बदमाश थे, को मार गिराया है। देखिये हर समाज में अपराधी भी होते हैं।

(व्यवधान)

...... हल्द्वानी के अन्दर अपराधियों को मार दिया, तो आप कम से कम इतनी तो कृपया करें कि जब हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है तो आप प्रशंसा भी करिये। अपराधी अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुए, मैं इस बात को मान रहा हूं और इस मामले की हमारे सामने सूचना आई है, उसको देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि हम तो यह चाहते थे उत्तरांचल पूर्ण रूप से अपराध से मुक्त हो लेकिन इसके लिए विशेष काम करना होगा, हम पुलिस फोर्स लगायेंगें जिन–जिन क्षेत्रों में यह अपराध हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज्ञा पर सूचना न देनी पड़े और समय आने पर मैं पूरा उत्तर दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक सुझाव मेरा है, मान्यवर, जो लोग उत्तर प्रदेश से सजा के तौर पर पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा भेजे जाते हैं, उनके क्राइम के रेशियों की बात है, अभी कल इसी इलाके में रामनगर में एक लड़के को पुलिस ने मार दिया, मान्यवर, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनको वापस भिजवा दें।

श्री नित्यानंद स्वामी–

मैंने सूचना दे दी, देखिये जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं, प्रदेश के सृजन के समय 12119 पुलिस कर्मी उत्तरांचल में कार्यरत थे, जिनमें से 6311 ने उत्तर प्रदेश का

विकल्प दिया है तथा 4490 ने उत्तरांचल का विकल्प दिया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकल्प देने वालों की संख्या 60 प्रतिशत है, इन कर्मियों के अतिरिक्त उत्तरांचल बनने के बाद पी0ए0सी0 में 3528 कर्मी कार्यरत हैं इनमें से उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी 2066 हैं, उत्तरांचल के विकल्पधारी की संख्या 1209 है। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं, उनको हम धीरे-धीरे कार्यमुक्त कर रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है जो घटना आप कह रहे हैं, इसका उत्तर भी मैं दूंगा। वहां पर उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी पुलिस कर्मी के ऊपर आरोप है, तो यह लोग जो उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं वे जानते हैं कि हमें तो जाना है, तो यह भी अपराध के कारण हैं। उन लोगों को हम जल्दी-जल्दी मुक्त कर रहे हैं, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री ईसम सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करता हूं कि जितने भी क्राइम विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर होते हैं, उनकी जांच उ0प्र0 के पैटर्न पर सी0ओ0 करता है और जब तक सी0ओ0 जांच करता है, अपराधी बाहर घूमता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उ0प्र0 के पैटर्न को यहां न लागू किया जाए और जो क्राइम करता है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

श्री नित्यानंद स्वामी-

मान्यवर, बिल्कुल उल्टी मांग कर रहे हैं। पहले यह होता था कि कोई दरोगा जांच करता था तो हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों ने कहा कि दरोगा एक नीचे के स्तर का अधिकारी है, इसलिए इसको सी0ओ0 के स्तर से करायी जाए, अगर आपकी यह मांग है, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन-

मान्यवर, एक आरोप लगाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझपर कि इतनी कंजूसी से काम न लीजिए, कहीं पुलिस अच्छा काम करती है तो उसका उल्लेख भी कर दीजिए। मान्यवर, अभी परसों मैं आपके पास लाया था। मैंने कहा कि यह तफ्तीश बदलवाना चाहता है, एक मुसलमान का थानेदार पर मुकदमा कायम हो गया है कि इसने मारा है उसको। मैंने कहा जो कि झूठा है। मामला अगर सदन में आएगा तो आर0पी0 सिंह एस0ओ0 की बेगुनाही का चश्मदीद गवाह मैं होऊँगा।

श्री नित्यानंद स्वामी-

मान्यवर, वो आरोप मैंने आप पर नहीं, श्री सैनी जी पर लगाया था।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप पूरे उत्तरांचल के अन्दर, चाहे वो देहरादून, जहां पर इस प्रदेश की अस्थाई राजधानी है, वहां का हो या विभिन्न जनपदों के जिला मुख्यालयों का हो, एक सामान्य स्थिति पैदा हो गयी है।

श्री नित्यानंद स्वामी–

मान्यवर, परीक्षा के लिए समय सीमा तय हो जाती है और आदमी उसकी तैयारी कर लेता है, आप यहां पर धड़ा–धड़ हमारे पास भेज रहे हैं, आखिर हमें भी समय तो दें, नोटिस पर तैयारी करने की।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, सर महमूद एक बैरिस्टर थे, एक राजा फंस गया तो उन्होंने कहा– भाई एक लाख रुपया लूंगा तो, वो चले गये कोर्ट में, थोड़ी सी लगा रखी थी उन्होंने, तो वो ये समझे कि मैं दूसरे का मुवक्किल हूं। तो उन्होंने 3 घण्टे तक बहस की तो राजा साहब परेशान हो गये। उन्होंने साबित कर दिया कि कातिल राजा साहब ही हैं, उनके बगल में मुद्दई खड़ा था। तो राजा साहब ने कहा–"बैरिस्टर साहब आपसे ऐसी धोखा–धड़ी की उम्मीद नहीं थी"। तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि क्या मतलब, तो राजा साहब ने कहा आपने तो मुझे ही फंसा दिया, बैरिस्टर साहब ने कहा– "चिंता न करो" लंच के बाद में उन्होंने फिर कहा कि माननीय जज साहब, मैंने अपने मुवक्किल पर जो कुछ आरोप लगाये हैं, क्या मेरे मुखालिफ वकील इससे अधिक कुछ कह सकते हैं, इस सम्बन्ध में, तो उन्होंने कहा–"नहीं" तो कहने लगे प्वाइंट नं0 1 का जवाब ये है, 2 का जवाब ये है, 3 का जवाब ये है, इसलिए ये बिल्कुल बेकसूर हैं। चूंकि आप भी वकील हैं इसलिए आपको तैयारी की जरूरत हम नहीं समझते कि है।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य स्थगन का प्रस्ताव सदन में उठा रहा हूं। श्रीमन्, मैंने कहा पूरे प्रदेश के अन्दर जिला मुख्यालयों पर, राजधानी के मुख्यालयों पर, विधान सभा के सामने रोज बेरोजगारों के विभिन्न संगठनों द्वारा धरना–प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही है। विधान सभा के सामने ये लोग शांतिपूर्वक धरना–प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ। ......

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्य स्थगन के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज जिला मुख्यालयों पर, विधान सभा के सामने विभिन्न बेरोजगार संगठनों द्वारा शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। विधान सभा के करीब ही जो बेरोजगार अपना शान्तिपूर्वक धरना–प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। उसकी पूरे उत्तरांचल के अंदर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, सभी ने उस पर रोष व्यक्त किया। यह अपने आप में एक दीगर प्रश्न है कि कितने लोगों को सरकार रोजगार मुहैया करा सकती है। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और ऊधर बैठने वाले माननीय सदस्य इन सीमाओं से वाकिफ हैं, संसाधनों की स्थिति से भी वाकिफ हैं। लेकिन आज जो मैं पूछने जा रहा हूं वह महत्वपूर्ण इसलिए है और सम्भवतः यदि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर इसलिए कह रहा हूं कि आप कार्मिक विभाग भी स्वयं देखते हैं। मैंने इस सम्मानित सदन के अंदर विधान सभा के प्रथम सत्र में कहा था कि रोजगार सृजन और रोजगार व्यवस्था की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्भवतः जिसका माननीय श्री केदार सिंह फोनिया जी ने उत्तर भी दिया था, यह एक ऐसा पहलू है जो उत्तरांचल की बुनियादी अवधारणा से ताल्लुक रखता है। इसलिए इस प्रश्न को नजरअंदाज करके किसी भी तरीके से हम खुशहाली की बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने चन्द सुझाव की शक्ल में यह नोटिस दिया। यदि आप मेरी इस नोटिस को पढ़ने का कष्ट करेंगे, मैंने इसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। आजकल उत्तरांचल में विभिन्न बेरोजगार संगठनों द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं। श्रीमन्, आपके सामने मेरी नोटिस की प्रति होगी। डिप्लोमा इंजीनियर संगठन, प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन, डिप्लोमा फार्मसिस्ट संगठन, यू0पी0सी0सी0एल0 इम्प्लाईज एसोसिएशन, छंटनीशुदा कर्मचारी वन निगम, छंटनीशुदा कर्मचारी संगठन, अंशकालिक शिक्षक संगठन, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन, विद्युत् अप्रेन्टिसशिप संघर्ष समिति आदि विभिन्न संगठनों द्वारा माननीय कोश्यारी जी भिज्ञ हैं। श्रीमन्, मेरा यह कहना है और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। छंटनीशुदा कर्मचारी, दैनिक कर्मचारियों का नियमितीकरण, अंशकालिक कर्मचारियों का नियमितीकरण यह कार्मिक से रिलेटेड गम्भीर मसले हैं।

मेरा कहना यह था कि इस प्रदेश के अंदर रोजगार और भर्ती का काम तो जब आप शुरू करेंगे, कब करेंगे, वैसे विलम्ब नहीं होना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काजी जी और सैनी जी के काम रोको प्रस्ताव पर यह कहा–आज इस उत्तरांचल के अंदर पुलिस विभाग की स्थिति यह है कि 12 हजार जो कर्मी हैं, उसमें से 60 फीसदी लोग उत्तर प्रदेश का विकल्प भरे हुए हैं, उनको जाना है। केवल 40 फीसदी कर्मचारी हैं और दूसरी तरफ हम हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं कि हम रिक्रूटमेंट, कार्मिक के नीति निर्धारण में कोई निर्णय नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ वो लोग निरन्तर दबाव डालते हैं। माननीय, वन मंत्री जी बैठे हुए हैं। आपको जाना पड़ा वन विभाग से छंटनीशुदा कर्मचारी यहाँ पर तम्बू लगाकर बैठे हुए हैं, वन निगम के छंटनीशुदा कर्मचारी तम्बू लगाकर दूसरे जगह बैठे हुए हैं। सी0पी0एड0, डी0पी0एड0, एल0टी0 के प्रशिक्षित कर्मचारी रोज धरना–प्रदर्शन, हमारे घरों पर चक्कर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून के अन्दर जो यू0पी0सी0सी0एल0 का एक प्रतिष्ठान था उत्तर प्रदेश सरकार का, वह बंद हो गया। उसके कर्मचारी वहाँ से निकाल दिये गये। वे सरप्लस हो गये, उनको रिट्रेंच घोषित कर दिया गया। छंटनीशुदा कर्मचारियों के मामले में आप भिज्ञ हैं। हमें तो आपके तजुर्बे के सामने बहुत न्यूनतम् तजुर्बा है। प्रत्येक प्रदेश के अंदर छंटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन के बारे में कार्मिक विभाग में एक पॉलिसी बनी है। हम किसी नीति का निर्धारण आज की तारीख में नहीं कर पाए हैं। मैं कह रहा हूँ जिसमें सरकार को कोई अतिरिक्त संस्थान लगाये बिना आप रोजगार दे सकते हैं। अधिकांश इस सदन के अंदर वे मांगें उठती हैं जिसमें संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मैं वे विकल्प सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें कोई अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वयं स्वीकार किया कि यदि 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार विकल्पधारियों को अगर हम यहां से रिलीज कर देंगे। .....

..... मान्यवर, उ0प्र0 के विकल्पधारियों को जो तनख्वाह दे रहे हैं अपने राजकोष से, उस पैसे से हम नये रिक्रूटमेंट भर्ती करके उसे कम तनख्वाह देंगे क्योंकि जो उ0प्र0 का विकल्पधारी है उसकी सीनियर्टी भी होगी कई अन्य चीजें हैं, उससे आप कई हजार

लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सकते हैं, उसके बारे में हम नीति निर्धारण नहीं कर रहे हैं। आदरणीय नित्यानन्द जी ने कहा जो पनिश्मैंट पोस्टिंग वाले लोग हैं, वह थानों के इन्चार्ज बैठे हुए हैं, जिनको हम बार्डर एरिया कहते थे जिसके अन्दर उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद आते थे, एक समय हम इनको बार्डर एरिया कहते थे, तब इन एरिया में हम उन पनिश्मैंट पोस्टिंग वाले अधिकारी को हम तैनात करते थे। आज शायद हम यह भूल गये, यह एरियाज बार्डर एरिया मात्र नहीं हैं। आज तो मुस्तैद अधिकारियों की जरूरत है, ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो वहाँ की जॉगरफी, वहाँ की टैपोग्राफी, वहाँ का वातावरण अपने आपको महसूस करें तो मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूँ इस प्रदेश के माध्यम से कि कब तक हम नियमों की दुहाई देंगे कि नया राज्य बना है, अभी टाइम लगेगा यह तो बातचीत की आम बातें बता रहा हूँ। इसमें टाइम लगने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस कांस्टेबिल को भर्ती करने में आपको कितने समय ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस की भर्ती के लिए आपको लोक सेवा आयोग के गठन की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो प्रत्येक जिले का पुलिस कप्तान ही भर्ती कर सकता है। सिंचाई विभाग में तीन चार हजार कर्मचारी सरप्लस बैठे हैं, कोश्यारी जी बैठे हैं उनके पास काम नहीं है। तो कम से कम यदि हम एकमुश्त नीतिगत निर्णय इसके ऊपर लें। इन बातों को संकलित करके कन्सोलीडेट कर लें, सदन के कार्य को रोक करके। श्रीमन्, आप अनुमति दें आप स्वीकार करें इस नोटिस को सदन के अन्दर व्यापक चर्चायें हों और किसी तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस का और जो रोजगार का एक पक्ष होता है, सरकार जिसको कि दुर्भाग्य से बजट के अन्दर भी गौण कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। मैं समझता हूँ अतिरिक्त पैसे का एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किये बिना ये इन्तजाम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि श्रीमन्, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आज इस प्रदेश के नौजवानों के सामने, इस प्रदेश के बेरोजगारों के सामने, इस प्रदेश के उन लोगों के सामने, जिनके पास रोजी–रोटी के इंतजाम नहीं है। श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है इस महत्वपूर्ण विषय को निश्चित रूप से कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें और इस पर सदन के अन्दर व्यापक चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि यह तात्कालिक है, यह लगातार चला आ रहा है। मेरी और इनकी बात में केवल एक अन्तर है, यह कहते हैं कि अभी करो, हम इस काम को कर रहे हैं और एक माह के अन्दर एक हजार पुलिस सिपाही की भर्ती कर देंगे। जो रिटायर्ड जनरल्स हैं सेना के, उनको एक दिन मैंने बुलाया, 5–6 लोग सबसे वरिष्ठ लोग आये उनसे कहा कि हम विज्ञापन कर रहे हैं। अब जितने हमारे आर्मी रिटायर्ड लोग हैं, वह अगर आकर सिपाही वाला काम करेंगे, जैसे कहीं पर चौकीदारी का मामला है, गार्ड करने का मामला है, कहीं आपकी यात्रा में मदद करने का मामला है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमने जिस दिन यहां शासन सम्भाला है हमने तुरन्त जितने हमारे इम्प्लाएमेण्ट एक्सचेन्ज हैं वहां से सूचनायें इकट्ठी की हैं। हमने मालूम किया है कि यहां पर अनइम्प्लायड हैं, अब अनइम्प्लायड लोगों को किसी क्रम के अनुसार ही रखेंगे और एक बात मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब आदमी हमको धमकी देगा, आत्मदाह की धमकी देगा, जब तक उस धमकी और आन्दोलन को कम नहीं करेगा, हम बात नहीं करेंगे, हमने तय कर दिया और हम इस पर कायम हैं।

***श्री मुन्ना सिंह चौहान–

[मान्यवर, यह तो प्रदेश सरकार की धमकी है यह घोर आपत्तिजनक है, यह श्रीमन् हनन है।]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष जी–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

हमने कहा हर रोज बात करने के लिए तैयार हैं, हर रोज हमारे पास लोग आते हैं, बात करते हैं। जितने लोग आन्दोलन खत्म करके हमारे पास आ जायें, बात करेंगे। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको हम सड़क पर क्यों बैठायें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सड़क पर बैठना बन्द कर दीजिए और हमसे बात कर लीजिये। मेरे पास जितने संगठन आये बहुत से संगठनों ने मुझे आश्वासन दिया हम दो साल तक कोई आन्दोलन नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मान्यवर, कई बार ऐसी बातें होती हैं, जिनको आप दिल के अन्दर मत लीजिए, प्यार से हम बात करते हैं। जितना हमने तय किया है, जितने हमारे नौजवान हैं उन सब को सेवा में लेंगे। हर एक आदमी चाहता है आज ही यह काम हो जाये, हमें थोड़ा समय चाहिए। पुलिस के जितने लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश के उनको हम वापस भेज रहे हैं। दूसरे जो लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं। आप 5 महीने के अन्दर चाहते हैं जो काम कई साल के अन्दर नहीं होता है वह काम आप 5 महीने में चाहते हैं, आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि साल भर के अन्दर इस समस्या को निबटा देंगे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जो विकल्पधारी हैं, हम उनको वापस भेज देंगे और यहां के नौजवानों को हम काम देंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आज ये क्यों सोच रहे हैं कि हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं, हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन हमें और आपको मिलकर यह काम करना होगा, बिना किसी आन्दोलन के, एक्रॉस दि टेबिल बैठकर यह बात की जा सकती है। क्या महात्मा गांधी जी ने यह नहीं सिखाया कि हम बैठकर कोई बात करें। तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं है। इस प्रदेश के हर बेरोजगार नौजवान को हम रोजगार देंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, आप आश्वस्त रहें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

नोट–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

"संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा को स्थगित किया गया।"

"संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 का पुरःस्थापन स्थगित किया गया।"

"उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा को स्थगित किया गया।"

"उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित स्थगित किया गया।"

"भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा को स्थगित किया गया।"

"भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित स्थगित किया गया।"

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं इस विधेयक को आज रखने के लिए तैयार नहीं हूं, इसके अन्दर जो पुराना विधेयक था, उसमें कुछ संशोधन लाये गये हैं, वो इसमें नत्थी नहीं है साथ ही तथ्य और कारण भी होने चाहिए, हमारे कार्यालय की त्रुटि के कारण यह हुआ है। इसको किसी और दिन रख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 6 से लेकर 11 तक की मदों को स्थगित किया जाता है, इसके साथ ही विधायी कार्य भी स्थगित किये जाते हैं।

एक शुभ सूचना है कि आज डेढ़ बजे हमारे उत्तरांचल विधान सभा की "उत्तरांचल एसेम्बली डॉट ओआरजी" नाम से बनी वेबसाइट का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कक्ष संख्या 20 में होना है, आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं, इसके तुरन्त बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। अब हम उठते हैं, 3 बजे तक।

(भोजनावकाश)

(भोजनावकाश के उपरान्त 3.00 बजे अपरान्ह)

श्री मार्शल–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.30 बजे तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

रवांई–जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति में तथा तराई क्षेत्र में निवास करने वाली बंगाली जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं, यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि रवांई, जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति में तथा तराई क्षेत्र में निवास करने वाले निवासी बंगाली जातियों को अनुसूचित जातियों में घोषित किया जाये। मान्यवर, टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के रवांई और जौनपुर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें संविधान की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त नहीं है परन्तु भारत सरकार ने हमारे पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के सभी कार्यों के संचालन में जनपद टिहरी गढ़वाल और जनपद उत्तरकाशी के रवांई और जौनपुर क्षेत्रों की जनजाति क्षेत्रों के समतुल्य रखकर के नियोजन करते रहे। इसका एक उदाहरण श्रीमन्, प्रस्तुत करना चाहता हूं, उससे निश्चित रूप से सरकार को मेरे इस संकल्प पर गम्भीरता से विचार करने में सहूलियत होगी। आज भी इन्टीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेण्ट के जो प्रोग्राम चलते हैं, वह प्रोग्राम जनपद देहरादून के अन्दर जिस तरीके चकराता कालसी क्षेत्रों में संचालित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से "कामन जनजाति विकास प्राधिकरण" का गठन, जिसका मुख्यालय देहरादून में है उसके माध्यम से जनपद देहरादून के कालसी और चकराता क्षेत्रों के साथ–साथ टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र में भी उसका संचालन होता है, जैसा कि आप भिज्ञ हैं। श्रीमन्, इन्टीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेण्ट के जो प्रोग्राम हैं वे अधिकांश कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा भी किये जाते हैं, अर्थात भारत सरकार ने भी विकास कार्यों की दृष्टि से सामाजिक पिछड़ेपन की दृष्टि से, शैक्षणिक पिछड़ेपन की दृष्टि से कालसी चकराता जनजाति क्षेत्र के समतुल्य रख कर के ही जनपद टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जौनपुर और रवांई क्षेत्र को स्वीकार किया, यह अपने आप में सरकारी आधार पर इस बात का प्रमाण है कि सैद्धान्तिक रूप से भारत सरकार भी यह स्वीकार करती है कि इन दोनों क्षेत्रों की परिस्थितियां बिल्कुल कालसी और चकराता क्षेत्रों जैसी है इसी वजह से इन क्षेत्रों में लम्बे समय से भौगोलिक दृष्टि से श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र को कालसी और चकराता क्षेत्र को और जिन 2 क्षेत्रों का मैंने यहां पर जिक्र किया, जिनको टिहरी और जौनपुर क्षेत्र कहा जाता है, उसकी भौगोलिक समस्या को केवल बीच में एक यमुना नदी विभाजित करती है, यमुना नदी के अलावा उसका न तो जियोग्राफी में कोई अन्तर है, न उसका डेमोग्राफी में फर्क है। रीति–रिवाज, खान–पान, बोली भाषा और तमाम सांस्कृतिक परम्परायें, सामाजिक परम्परायें इन दोनों, तीनों क्षेत्रों में

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक जैसा हो, इसलिए इससे ज्यादा उपयुक्त कोई उदाहरण इस बात का नहीं मिलेगा कि शत–प्रतिशत आइडेन्टिकल सिचुएशन इन जगहों पर है, जो स्थिति कालसी और चकराता में विद्यमान हैं, बिल्कुल वही परिस्थिति शत–प्रतिशत रवांई और जौनपुर क्षेत्रों में भी विद्यमान हैं, लिहाजा यहां के लोगों ने लम्बे समय तक आन्दोलन पर चलकर भारत सरकार के सामने इस बात के लिए याचना करते रहे कि हमें भी जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये। मुझे स्मरण है कि इस विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव करते हुए और महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था मैं आभारी हूं कि सत्ता पक्ष से भी तमाम माननीय सदस्यों ने मेरी बात का नैतिक समर्थन करते हुए, जिसके अन्दर माननीय फोनिया जी, जिसके नये मुखिया कोश्यारी जी इसमें आप लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से यह क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये, यह बात दिगर है, आपने उसके साथ–साथ कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में भी यह कहा था।

मान्यवर, दूसरे क्षेत्रों का भी आइडेंटीफिकेशन किया जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमन्, हमारे कुमाऊँ क्षेत्र का जो तराई क्षेत्र है, जिसमें ऊधमसिंह नगर आता है, कुछ हिस्सा नैनीताल जिले का भी आता है, वहां पर बंगाली समुदाय के लोग निवास करते हैं और निश्चित अध्ययन के तौर पर और प्रमाणित तौर पर यह कहते हैं कि ये जो जातियां हैं, जिन्हें देश के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है। यही नहीं ये बंगाली जातियां पश्चिम बंगाल से आयी हैं, अपने तर्क की पुष्टि के लिए यह बात कहना भी समीचीन समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में ये तमाम सारी जातियां आज भी अनुसूचित जाति की सूची में हैं क्योंकि ये लोग यहां पर विस्थापित होकर आये हैं इसलिए किसी कारणवश इनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से मैं तो देख रहा था, संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी का हफ्ते भर पहले का ही मैंने कहीं बयान भी पढ़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से सहमति जतायी है कि यहां पर, तराई क्षेत्र में जो बंगाली जातियां हैं, उनको अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाये। मान्यवर, हम सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को डिक्लियरेशन का अधिकार भारत सरकार के पास है। प्रदेश सरकार सीधे तौर पर न तो अनुसूचित जातियों की सूची में कोई परिवर्तन कर सकती है और न ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोई परिवर्तन कर सकती है। निश्चित रूप से भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश से यह सम्पन्न होता है। इसलिए श्रीमन्, मैंने अपने संकल्प में इस बात के लिए आग्रह किया है कि यह सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार–विमर्श करें और इस बात की सिफारिश भारत सरकार से करें कि टिहरी और उत्तरकाशी जिले के रवांई और जौनपुर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कालसी और चकराता की तर्ज पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करते हुए वहां के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाये तथा तराई क्षेत्र में निवास करने वाली बंगाली जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया जाए। श्रीमन्, समाज के ऐसे वर्गों के बारे में जो एन्थ्रोपोलाजिकल रिसर्च, जो तमाम सारा अध्ययन समाजशास्त्रियों ने, चाहे वो डॉ० मजूमदार ने लिखा हो, चाहे डॉ० एस०एस० शशि ने लिखा हो या डॉ० शुक्ल ने लिखा हो, सभी लोगों ने कुछ बेसिक इंडीकेटर्स को आईडेंटीफाई किया है। जनजातियों में किन लोगों को घोषित किया जाए और अनुसूचित जातियों में किन लोगों को घोषित किया जाए, ये कोई बड़ा आर्बीट्रेरी एक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा

नहीं हो सकता कि हम केवल अपने मनपसन्द तरीके से सिफारिश करने लग जाएं, उसके लिए कुछ बुनियादी चीजें सिद्धान्ततः स्वीकार की गयी हैं, जो प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ हैं, उनके जीवन यापन का एक परम्परागत तरीका है, उनकी बहुत सारी चीजों के अध्ययन के आधार पर, यह देखा गया है कि कौन–कौन से कारण हैं, जिसकी वजह से यहां का जो क्षेत्र है, इस वर्ग के जो लोग हैं, किस तरह से उनकी तरक्की अवरुद्ध है और किस तरीके से उन्हें विशेष अवसर प्रदान करके, जब कभी भी हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति की बात करते हैं तो सामान्यतः लोगों के मन में यह बात आती है, ...

.... मान्यवर, लोगों के मन मस्तिष्क में यह बात आती है कि सम्भवतः ये सरकारी सेवा आरक्षण सीमिति है, कदाचित मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं। श्रीमन्, यदि संविधान के आर्टिकिल–15–16 के अन्दर जो आरक्षण की व्यवस्थायें की गई हैं उसकी जो व्याख्यात्मक टिप्पणी, जिसके बारे में संविधान के रचयिता डा0 भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी जगहों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां लिखी। संविधान सभा ने स्वयं जिसमें डा0 राजेन्द्र प्रसाद खुद थे, उसके अन्दर व्याख्यात्मक टिप्पणी में इन सब बातों को भी उसमें कई लोगों के डिशेन्ट नोट थे उसके ऊपर भी विचार हुआ तो सभी चीजों पर गौर करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सेवाओं में आरक्षण तो उसका छोटा सा पहल है, क्योंकि सेवाओं में आरक्षण के लिए तो एक बुनियादी धरातल की जरूरत होती है। जब तक वह धरातल ही मजबूत नहीं है तब तक सेवाओं में आरक्षण का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मसलन किसी भी स्तर की सेवाओं के लिए चाहे वह टैकनिकल सर्विसेज हो, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, प्रथम श्रेणी का हो, द्वितीय श्रेणी का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो, रिक्युजिट क्वालीफिकेशन कुछ न कुछ उसके लिए योग्यतायें निर्धारित है, लिहाजा आरक्षण की श्रेणी में खड़ा करने से पहले उस समाज के लोगों को उस समाज के व्यक्ति को हमें उसी बुनियादी ताकत से उन सब चीजों से लैस करना होता है जिससे उस दौड़ में पात्र बनकर वह मैडल जीतता है उस परीक्षा में बैठाकर वह कहां स्टैण्ड करता है, यह सैकेण्डरी चीज है, पहली बात यह है कि उस दौड़ में शामिल होने के लिए जो क्वालीफाइंग स्टैण्डर्ड है उसे कहते हैं पार करना, इस तरह से उन्हें काश इस समाज के लायक बनाया जाय जिससे कि वह उसमें हिस्सेदारी कर सकें। जो मैंने कुमाऊँ क्षेत्र का जिक्र किया श्रीमन्, उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों से सम्पर्क किया निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों से यहाँ सब से यद्यपि सदन के अन्दर किसी का नाम लेने की परम्परा नहीं है क्योंकि वह व्यक्ति अपने डिफेंस में अपनी सफाई में आ नहीं सकता लेकिन समाज के हित की जब बात होती है या किसी के कोई स्टैण्डर्ड की बात होती है तो उसको ले करके हम कोड करते हैं, अपने मित्रों को अपने परिचितों को कोड करते हैं। श्रीमन्, जिस दल की सरकार इस प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी, उसके भूतपूर्व सांसद आदरणीय बलराज पासी से भी मेरा विचार विमर्श हो रहा था पर उन्होंने मुझसे यह मंतव्य व्यक्त किया कि निश्चित रूप से जो कुमाऊँ की तराई में रहने वाले लोग हैं ये अनुसूचित जाति घोषित किये जाने के पात्र हैं। तो मेरा विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह है कि चाहे पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आये, संकल्प आये, इस दृष्टि से कदाचित इसकी विवेचना न करें। यह मानकर चलें कि एक डर जिसको सभी महसूस करते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया भारत सरकार स्वयं जनजाति कल्याण की राष्ट्रीय स्तर पर योजनायें संचालित करती हैं इससे ज्यादा कोई क्लेयरिंग उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता।

उन सब योजनाओं को जो इस चकराता जनजाति क्षेत्र जिसे चकराता जनजाति क्षेत्र कहते हैं, जो स्टेट्स उस क्षेत्र को रिकार्ड किया गया इन योजनाओं के संचालन में वही स्टेट्स टिहरी और उत्तकाशी के रवांई और जौनपुर क्षेत्र में दिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार स्वयं में भी इस बात को स्वीकार करती है कि इन क्षेत्रों का वास्तव में समतुल्य रखकर के, लेकिन जो भी कारण रहे राजनीतिक पहल नहीं हुई, यह उत्तर प्रदेश में रहकर इस विषय पर बहुत ठीक से कार्य नहीं किया तो श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से सभी सम्पूर्ण सदन से आग्रह करूंगा कि इस संकल्प में कोई मत विभाजन हो, यह कदाचित मेरी मंशा नहीं है यह पक्ष और विपक्ष का विषय है, हम यह भी चाहेंगे कि दूसरे माननीय सदस्य भी इस पर चर्चा करें। हो सकता है जो कुमाऊँ क्षेत्र से जो तराई क्षेत्र में निवास करने वाले बंगाली समुदाय के बारे में हैं उनसे ज्यादा परिपूर्ण बात कह सकते हैं, तो श्रीमन्, इसके ऊपर पूरे सदन को बहुत दलगत भावना से ऊपर उठकर के इस पर विचार करना चाहिए और यदि हम सभी मिलकर महसूस करते हैं, जिन लोगों का यह वाजिब हक है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है।

निश्चित रूप से हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से भारत सरकार को सिफारिश करना चाहिए, इस बात के लिए कि टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के रवांई और जौनपुर क्षेत्रों की जनजाति क्षेत्र तथा कुमाऊँ के तराई में निवास करने वाले बंगालियों का। मैं यह कह रहा हूं कि हो सकता है कि कभी–कभी हम बंगाल शब्द कहते हैं उससे कन्फ्यूजन हो सकता है उसमें ऐसा नहीं है तो जो कोई भी अपने आप को बंगाली कहने लग जाये वह सभी अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी में आ जायें, उसमें निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को अपने संसाधनों के लिए उसके पास जो भी उसके चिन्हीकरण के लिए आयाम हैं उसका बाकायदा चिन्हीकरण करें और बंगाली समुदाय अपने आप में एक स्थानीय क्लानिकल भाषा में होगा, लेकिन निश्चित रूप से हम उस को यह कहेंगे कि जो जातियां वास्तव में जिनमें वह सब तत्व विद्यमान हैं जिसके आधार पर पूरे देश के अन्दर विभिन्न जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं उन जातियों को सर्वसम्मति से इस सदन का एक प्रस्ताव है कि इन रवांई और जौनपुर की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा तराई में निवास करने वाले बंगाली जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित की जाये, श्रीमन्, मुझे अपनी बात को कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

समाज कल्याण, रेशम एवं उद्यान मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस संकल्प के मुख्यतः दो भाग हैं, एक तो रवांई, जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करेंगे और दूसरा कुमाऊँ के तराई भाग में रहने वाले जो आम तौर पर बंगाली लोग कहे जाते हैं उनको अनुसूचित जाति घोषित करने की सिफारिश करने की बात कही, जैसा कि संकल्पकर्ता महोदय ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि यह दोनों प्रकरण राज्य सरकार के क्षेत्र में नहीं आते इसलिए इस पर पूर्णतया अधिकार क्षेत्र भारत सरकार को मिलता है और भारत सरकार का है, जहां तक जनजाति रवांई, जौनपुर क्षेत्र की या वहां के निवासियों को जनजाति घोषित करने की बात है, इस सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन की ओर से एक पत्र 27 मार्च को और स्मरण–पत्र के रूप में 21 अप्रैल को और 1 मई को भारत सरकार को भेजकर अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने वाले जो बिन्दु हैं, उससे अवगत कराया जाये।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों में शामिल करने के सम्बन्ध में हालांकि पत्राचार नहीं हो पाया है, इस सम्बन्ध में भी जो मानक हैं, हम उनकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को मान्यवर, चूँकि इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है इसलिए निरस्त करने की कृपा करें।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट बातों का उल्लेख कर दिया लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि जो भावनाएं हमारी पार्टी की है, उससे इस सदन को अवगत कराऊँ। हमारी पार्टी निरन्तर इस बात का प्रयास कर रही है कि रवांई जौनपुर के क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए कार्यवाही हम लोग करेंगे। हमारी केन्द्रीय नेतृत्व से बात होती रहती है। मैं तो इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, अभी मैं सीमान्त क्षेत्र में गया था, धारचूला, मुनस्यारी वगैरहः, वहां पर भी जनजाति के लोग हैं और इतने पिछड़े हुए हैं, समाज से, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा शहर के निकट हैं, टिहरी और उत्तरकाशी में तो हो सकता है उन लोगों का कुछ विकास हुआ हो, लेकिन सीमान्त क्षेत्र तो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। हम लोग भरसक प्रयत्न करेंगे कि उन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित करायें और जो तराई क्षेत्र के अन्दर हमारे बांग्ला बंधु हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, सड़क के किनारे–किनारे अपनी झोपड़ियां बनाकर ये लोग निवास करते हैं, किसी का आज तक हमने वहां मकान नहीं देखा, बहुत हैं, रुद्रपुर में हैं, काशीपुर में हैं, माननीय इंदिरा जी तो जानती होंगी, उन्हीं का क्षेत्र है, उसके लिए भी हम लोग, आपने ठीक कहा, मैंने रुद्रपुर की सभा के अन्दर कहा, हम लोग भरसक प्रयत्न करेंगे कि उनको अनुसूचित जाति का स्टेट्स मिल जाए। इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। आप जो आज प्रस्ताव लाए लेकिन हम तो महीनों से इस पर कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, गवर्नर की तरह से संशोधन प्रस्ताव तो मैं लाया था, मेरा काम आप अपना क्या बता रहे हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो यह कह रहा हूं कि हम लोग तो कई वर्षों से इस मामले में लगे हुए हैं। हमारी सरकार और हमारी पार्टी की यह पॉलिसी है। इसलिए कृपा करके अपने संकल्प को वापस ले लें। हम लोग तो पहले से ही इस काम को कर रहे हैं, जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो आपके सिर पर मुकुट रखने से क्या फायदा।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावनाओं को छिपाते–छिपाते भी प्रकट कर ही दिया संकल्प पारित होने लायक है। संकल्प पारित होना ही चाहिए, लेकिन जो मुकुट वाला प्रकरण है उससे सरकार परेशान है। जब हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के रूप में इसे लाये, तो इतना तो हुआ ......

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

..... मान्यवर, जब हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के रूप में लाये तो इतना तो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टेट एक्जूक्यूटिव की

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मीटिंग में इस पर प्रस्ताव लाये, उसके बाद, उसके पहले नहीं और जो पत्र समाज कल्याण मंत्री जी ने भारत सरकार को लिखा वह उसके बाद लिखा। खैर अच्छे काम को जिस काम को "बैटर लेट देन नेवर" अच्छा काम देर आये दुरूस्त आये, यदि अच्छा है तो हम उसे अच्छा कहेंगे यदि आपकी पार्टी के एजेन्डे में भी और फिर पार्टी की सरकार होने के नाते मा0 मुख्यमंत्री जी आपके एजेण्डे में भी यह कार्यक्रम है तो मैं निश्चित रूप से इसमें आपकी सराहना करूंगा, लेकिन पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस संकल्प के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है जो विधिक रूप से तर्कसंगत न हो जो कनसिसमेंट ऑफ ला ऐसी कोई चीज नहीं है। मान्यवर, चाहे रवांई जौनपुर के बंगाली जातियों का एडेन्टीफिकेशन का हो, यह तो निश्चित रूप से सरकार का विशेषाधिकार है उसका चिन्हीकरण करें। इस संकल्प को इस हद तक एडोप्ट करें कि यह हाउस भारत सरकार से सिफारिश करता है कि इन लोगों के संदर्भ में इस सदन का भी तो अपना अधिकार है, लिहाजा श्रीमन्, सरकारी संकल्प ले आइये, आप लोग बतायें, मैं सरकारी संकल्प ले आऊंगा। मैं श्रीमन्, विद्ड्रा करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हमें संकल्प लाने की जरूरत नहीं है, हम लगातार इस काम में लगे हुए हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, भारत सरकार ने स्वयं उ0प्र0 सरकार को इसके बारे में लिखा, हाई कोर्ट के अन्दर ये लोग याचिका लाये। हाई कोर्ट ने तत्समय उ0प्र0 सरकार को यह डाइरेक्शन दिया कि उसके ऊपर विचार करें। यह तमाम सारे आधार हैं, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना होगी कि आप कह दीजिए, हम इसके लिए सरकारी संकल्प ले आयेंगे। मान्यवर, इस सदन के मातहत सरकार चलती है, सरकार की जवाबदेही सदन के प्रति है, सदन की जवाबदेही सरकार के प्रति है। इसलिए सदन का जो सर्वोच्च अधिकार है लेजिसलेशन का, प्रस्ताव करने का, कोई संस्तुति करने का, हम उसे सदन के सर्वोच्च अधिकार में सम्मिलित करते हुए, मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हम तो लगातार इस पर लगे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि संकल्प कर दीजिए, हम संकल्प कर देंगे, हमारी बातचीत हो रही है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आशंका करने का कोई कारण नहीं है, इस आश्वासन के साथ इस सरकार की तरफ से संकल्प की भावना के अनुरूप रवांई जौनपुर के निवासियों को जनजाति और तराई में निवास करने वाले बंगालियों को अनुसूचित जाति घोषित करने के लिए भारत सरकार से विधिवत् सदन का प्रस्ताव कराया जायेगा। इस आश्वासन के बाद मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प "सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि रवांई जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अनुसूचित जाति में तथा तराई क्षेत्र में

निवास करने वाले बंगाली जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया जाय", को वापस लेने की अनुमति दी जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ)

उत्तरांचल के बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत संकल्प

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रही हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तरांचल के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जायें" मान्यवर, यह प्रश्न व्यापक है, लेकिन यह उत्तरांचल राज्य की प्रमुख समस्या है और इसमें समाधान के लिए ठोस कार्यक्रम और कार्य योजना बनाने की भी आवश्यकता है क्योंकि बेरोजगार नवयुवकों का और बेरोजगार लोगों का आक्रोश एक प्रकार से वातावरण को अराजक और अशांत बना रहे हैं। जो लोग निजी रोजगार भी कर सकते थे वह भी उत्तरांचल राज्य में उद्योगों की स्थिति, छोटे लघु उद्योगों की स्थिति खराब होने के कारण वह लोग भी बेरोजगार हो गये। जो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे आरा मशीन हो, चाहे कोल्हू में काम करने वाले लोग हों, चाहे वह लघु उद्योग, चाहे साफ्ट वुड पर चल रहे हों उनके माध्यम से तमाम लोगों को रोजगार मिला। यह जरूरी नहीं कि पढ़े–लिखे लोग हों लेकिन कुशल कारीगर के रूप में जो कार्य कर रहे थे उनको अवसर पूरा नहीं मिला और धीरे–धीरे वह उद्योग बन्द हो रहे हैं। इस समय परिस्थितियां यह हैं कि अगर आप व्यापारी की दृष्टि से लोगों से बात–चीत करेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर यहां घटने के अलग–अलग कारण हैं। जिस व्यवस्था में जो लोग रह रहे थे उस व्यवस्था से उपभोक्ता को और व्यापारी को दोनों को ही जब अधिक पैसा देना पड़ रहा है तो वह कॉम्पिटिशन के मार्किट में टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस पर संवेदनशील होकर विचार नहीं कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में वह कार्य कर रहा था, बहुत आसानी से यह कह दिया जाता है कि आप अपना स्टाक उत्तर प्रदेश में बना लें, उसके लिए उसे अलग व्यवस्था करनी होगी, या कहा जाये कि माल पर हम कर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग मिलते हैं, मुझे जानकारी देते हैं कि एक ही बोरी में तीन सौ, चार सौ रुपये का अन्तर एक बार्डर एरिया से इस एरिया में है तो जो लोग इस प्रकार के रोजगार में लगे हुए हैं वह भी प्रभावित होते हैं। जहां एक ओर प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वह सरकारी नौकरी के लिए दौड़ता था यह सही है कि सरकारी नौकरियों का स्कोप है जो उसका वातावरण है, वह घटा है, अगर रिक्तियों को देखा जाये तो 8–10 हजार से कम रिक्तियां इन्स्टीट्यूशन से खत्म नहीं होंगी और उनकी रिक्तियों में जो भी शिक्षक बन्धु को 5 हजार की नौकरी दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि यह हमारी स्थायी व्यवस्था में सब को नियमित करेंगे। जो भी सम्भवतः बेरोजगारी का आंकड़ा है यह बहुत बड़ी समस्या है। हम जिस होटल में रहते हैं वहां मेरे पास बी0आई0एम0एस0 पास लड़के मेरे पास आये और कहा कि साहब देखिए यह तो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को रखेंगे डाक्टरी में, तो मान्यवर, इस पर कानून भी होगा, तो किसी के कहने से कानून नहीं बदल जायेगा।

मान्यवर, हम सब लोग अन–इम्प्लॉइड हो जाएंगे, तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। अब डॉ0 के लिए तो कहा जाता है कि जितना पुराना हो, लेकिन उसके साथ ही जितनी अप–टू–डेट इन्फॉरमेशन होगी, वो अच्छा होगा। एक दवा की गोली जो खाते हैं, उसके

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में जब रिसर्च हो जाता है तो उसे किडनी डैमेज का बता दिया जाता है, दूसरी शुरू हो जाती है, अब तो ऐलोपैथी दवाओं के प्रति तमाम तरह के प्रश्न पैदा हो गये हैं, लोग होम्योपैथी, एक्युप्रेशर और नेचर की ओर भागने लगे हैं, बीमारियों के बहुत किस्म के इलाज के रास्ते निकले हैं, तो जब वो मिलें तो, उनसे क्या कह दिया जाए, अगर उनसे कह दें कि यह जो बयान दिया गया है, रिटायर्ड को नहीं रखा जाएगा, आपको रखा जाएगा, तो यह तो सरकार को तय करना है, वो सरकार के बयान को कागज में चिपकाये हुए घूम रहे हैं। मुझे एक साहब मिल गये, कहने लगे–पिछली बार मैंने आपको ए०एन०एम० का प्रकरण दिया था, सौ ए०एन०एम० प्रशिक्षित हैं। मैंने कहा– "भाई मैंने सदन में कह दिया"। कहने लगे, आपने तो कह दिया, परन्तु हुआ तो कुछ नहीं। उत्तरकाशी से टिहरी तक की 100 ए०एन०एम० थी, वो आयीं और कहने लगीं– हम धरने पर बैठ जाएंगे, हमारी मदद कीजिए। हमने कहा– भाई मदद तो सरकार करेगी, हम आपके मजबूत वकील के रूप में आपकी बात सदन में रख सकते हैं, तो ए०एन०एम० का मामला भी हो गया, बी०टी०सी० और बी०एड०, एल०टी० की तो खैर लाइन लगी हुई है। इसके अलावा आपके छंटनीशुदा वन निगम के कर्मचारी हैं, वो भी कहते हैं कि साहब हम तो कई दिन से बैठे हैं। अब नये तो बाद में रखेंगे, पहले छंटनीशुदा को तो रखेंगे। अब जो द्रोण होटल में चाय देने आता है, बताता है, साहब मैं डेलीवेज पर पिछले 10 साल से हूं, आप नियमित ही करवा दीजिए, वो हमें आशा की निगाह से देखते हैं कि ये लोग सदन में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से कुछ उपकार हो जाए, डेलीवेज की संख्या बहुत है। 91 से, जो हमारा कर्मचारी और टीचर्स के यूनियन में काम करने का अनुभव है, 10 वर्ष हो गये, 10 वर्ष में तो चयन वेतनमान ड्यू हो जाता है, परन्तु राजकीय और सहायता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक नियमित ही नहीं हुए हैं, आप उन्हें निकाल भी नहीं सकते क्योंकि निकालने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये वो समस्याएं हैं जो लम्बित हैं, फाइलों में बन्द पड़ी हैं, जिनका समाधान उ०प्र० जैसे बड़े राज्य में रहकर संभव नहीं था किन्तु इस छोटे प्रदेश में, हम थोड़े संवेदनशील भी हैं। पर्वतीय क्षेत्र का हर विधायक उ०प्र० में इन्हीं मुद्दों को चाहे वो हमारे माननीय वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल जी हों या कोई अन्य विधायक इनकी फाइल लेकर जाते थे। अब जब हम सरकार में हैं, तो जिनकी हम लड़ाई लड़ते थे, उनका निर्णय करने का अधिकार हमको मिल गया है। ....

मान्यवर, अब इसमें निर्णय करने का अधिकार आपको मिल गया है। जो वह अधिकार मिला तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में सब निर्णय हो जाएंगे। लेकिन जब इच्छाशक्ति और मन होगा, तभी कार्य होगा। बेरोजगारी के भारी जंजाल से लड़ने में हम किस प्रकार समर्थ हैं। आज हर किसी को सरकारी नौकरी दे पाना सम्भव नहीं है। जहां बेरोजगारी कम है वहां सरकारी नौकरियां भी कम हैं। जब हम चीन गये तो चीन के अंदर जब हमने यह जानकारी प्राप्त की, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी साथ थे। तीन प्रतिशत बेरोजगारी चीन में है। चीन में बेरोजगारी सबसे कम सारी दुनिया में बताई गई। हम बहुत बारीकी से अध्ययन तो नहीं कर सकते। वहां का हर व्यक्ति स्वरोजगार जैसे हस्तशिल्प, काष्ठकला, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि में लगा हुआ है। आज लोग कहते हैं कि चीन का पंखा ले आओ, चीन की साईकिल ले आओ इनको इस्तेमाल करो और फेंको। लेकिन भारतीय जनता तो ऐसा नहीं कर सकती है। हम तो पुराने में विश्वास रखते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि यह घड़ी हमारे दादा की है, वो इसे बांधा करते थे। लोग इसे बताने

में गर्व का अनुभव करते हैं। बेरोजगारी का प्रतिशत अन्य देशों में ज्यादा है। जर्मनी, जापान में बेरोजगारी का प्रतिशत ज्यादा है। चीन में तीन प्रतिशत अनइम्प्लायमेंट है। भारत सरकार के सामने अनइम्प्लायमेंट की समस्या खड़ी है। आज विश्व में चीन में बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे कम है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, चीन की तुलना हम नहीं कर सकते। चीन में तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर टैंक चला दिये गये थे, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चीन में एक बच्चे का प्रावधान है। हम भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में इतनी सख्ती नहीं बरत सकते हैं।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं और जहां राजनीतिक निर्णय लिये जाते हैं दोनों में समन्वय करके बेरोजगारी नहीं दूर की जा सकती। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को याद हो कभी कोई सरकार इसका जवाब नहीं दे सकी है। हमारे यहां बेरोजगारी समाप्त करने के लिए शासन के पास कोई नीति नहीं है। हर सरकार घुमा फिरा कर इसका जवाब देती है। हम जानते थे कि इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा कि बेरोजगारी दूर करने के और कोई उपाय हैं। बेरोजगारी को भी हम अब व्यवस्था का अंग बनाने का मन बना चुके हैं। यदि ऐसा हुआ तो नई पीढ़ी का आक्रोश फूट पड़ेगा। नई पीढ़ी किसी बन्धन से बंधकर नहीं रह सकती और उसमें जब हम गांधी के देश की बात कर रहे हैं, जहां अहिंसा और सत्य की बात बताई जाती है। आज एक ऐसा वातावरण बना चला जा रहा है जब उत्तरांचल राज्य बना था तो कहा गया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उत्तरांचल के भाई–बहनों ने जो सपना देखा था उस सपने के आंशिक रूप से भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है। आप कह सकते हैं हमारे यहां 2 हजार प्रशिक्षित बी0टी0सी0 में चयनित हुए। सरकार कह सकती है कि हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप 5 हजार लोगों को रोजगार देकर बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। रोजगार कार्यालय से हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं। स्त्री–पुरुष भी पढ़े लिखे हैं जो जिले–जिले में एन0जी0ओ0 कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से जानकारी मिल रही है हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ......

मान्यवर, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके उद्देश्यों को हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, वहां ड्राइवर की भी हैसियत वहीं होती है जो ड्राइवर के साथ काम करने वाले, अन्य डिगनिटी ऑफ लेबर, वह हम यहां स्थापित कर ही नहीं पाये। हम बड़े छोटे काम के साथ बंधे हुए हैं, ये व्यवस्था से सभी बेरोजगारों की व्यवस्था दूर हो जायेगी, कोई कार्य करने में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं हो सकता बाहर देशों में छोटे और बड़े की भावना नहीं होती है। हमारे उत्तरांचल में इण्टरमीडिएट या बी0ए0 पास कर लिया तो हम–आप ऐसा कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन यह भावना बनाने में युवा पीढ़ी का दोष नहीं है। मैंने देखा मेरा एक नवयुवक भाई हिन्दुस्तान में आया था उसने कारपेन्टर की डिग्री ली थी और पढ़ा–लिखा था, इंजीनियर भी था, कारपेन्टर पहले था, उसने चारपाई बनाई उसके बाद उसने अपनी कुर्सी बना दी। पढ़ा–लिखा जवान लड़का वहीं रहता है उसके पेरेन्ट्स भी वहीं रहते हैं, हिन्दुस्तान में उसने बताया मैं कारपेन्टरी में एक्सपर्ट हूं, वह हिन्दुस्तान में कई वर्ष रहा और अगर हम को अपना मकान बनाना है तो हम राजमिस्त्री

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ढूंढते हैं। हमारे यहां एक अनइम्पलाइड को बैंक से ऋण लेना है तो वह नौजवान ऋण लेने के लिए आपसे सिफारिश करेगा बैंक वाला तो देगा नहीं, वो तो जोखिम लेने को तैयार ही नहीं, उसमें प्राविधान है, बैंक वाले उसको इतना चक्कर कटवा देंगे कि वह परेशान होकर बैंक से ऋण नहीं ले पायेगा। मान्यवर, इसका सरलीकरण क्या नहीं हो पाता। पर्यटन की दृष्टि से आप देखें हिमाचल प्रदेश में तमाम विदेशी कुल्लू और मनाली में लोगों के घरों में आते हैं, उस कल्चर के आदी हो जाते हैं, कोई अमेरिकन, कोई इटेलियन आया उन्होंने उनके खाने की व्यवस्था की उनकी उससे आमदनी हो जाती है और वह 12 महीने ट्रैकिंग से काफी अच्छी कमाई कर लेते हैं। हमारे यहां उसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

.....उस ट्रैकिंग से काफी अच्छी कमाई हो पाती है, दुनिया या हिन्दुस्तान में आप कहीं भी चले जायें गाइड की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर मिल भी जाये तो पेमेण्ट इतना होगा कि आप कर ही नहीं पायेंगे, इसलिए कोई गाइड नहीं लेता खुद किताब पढ़कर जाते हैं।

विषय बड़ा व्यापक है बड़ा महत्वपूर्ण है मैं इसे सम्बद्ध करके यह निवेदन करती हूं कि इम्प्लायमेण्ट की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, लेबर की दृष्टि से, इन तमाम दृष्टियों से इन लोगों की एक लिस्ट बनाकर इनको रोजगार दें और यह समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर करें।

पर्यटन, औद्योगिक विकास एवं आबकारी मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, यह सच है कि बेरोजगारी हमारी बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन बेरोजगारी तो आज पूरे विश्व की समस्या है, पूरे देश की समस्या है और उत्तरांचल की समस्या भी है। मुझे इस बात का खेद है कि द्रोण होटल में रह–रहकर हमारी माननीय सदस्या को हर रोज बेरोजगारों का सामना करना पड़ता है, यह विशेष परिस्थिति है, इसलिए राज्य बन जाने के बाद बहन जी की भावनायें और मजबूत हो गई हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है उन समस्याओं के ऊपर जो आपकी भावनायें हैं वह हमारी भी भावना है। ऐसी बात नहीं कि हम चिन्तित नहीं हैं, समस्या सब की है और हमारी चिन्ता सम्भवतः सब की चिन्ता है और हमने जो सोचा है बेरोजगारी से निपटने के लिए उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है एक समयबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से, पहले तो इसके कारण समझने पड़ेंगे कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं, कारण, जनसंख्या का आशा से अधिक बढ़ना भी हो सकता है, जनसंख्या के प्रति बोल चुके हैं, लेकिन कारण अन्य भी हो सकते हैं।

बहन जी ने कहा कि एक पढ़ा–लिखा लड़का द्रोण होटल में चाय दे रहा है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कर्तव्य निष्ठा है, "वर्क इज वर्शिप", पढ़े–लिखे होने पर काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मुझे बड़ा गर्व है उस लड़के पर।

मान्यवर, वहां तो जो सरकार ने नीति बना दी है, वो मान ली गयी, सरकार के बढ़ते कदमों को पीछे खींचने वाला कोई नहीं है। हमारी प्रणाली डेमोक्रेटिक प्रणाली है। हम तो कहते हैं कि हमें भी चीन की वह प्रणाली अपनानी चाहिए। सदन के शत–प्रतिशत लोग, कोई अच्छी नीति सरकार की बनती है, तो उसका समर्थन करें, कहीं पर प्रमाण

दीजिए हमने मिलकर सच्ची भावना से शासन की ओर से कोई अच्छी बात हुई हो, तो उसका हमने समर्थन किया हो। चीन में ये भावना है इसलिए वहां बेरोजगारी का प्रतिशत नीचे आ गया और बहुत कम हो गया। हम लोग अच्छी बात सीख तो लेते हैं, पर उसका कार्यान्वयन करना भी हमें सीखना पड़ेगा। देखिए हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आकर यहां पर बैठे हैं, लेकिन अपने मुल्क में भी हमें इसी तरह काम करना चाहिए। हम सबको काम करने का अवसर देते हैं जो हमारा बेरोजगारी का प्रतिशत है, वो कम हो जायेगा। अभी 6 महीने का समय हुआ है, अभी बहिन जी ने कहा यहां का आदमी तो फूल भी नहीं उगाता है। जब से हमारा उत्तरांचल राज्य बना है, फूल का व्यवसाय ही सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ व्यवसाय बन गया है। बेरोजगारी दूर करने की जो नीति हमने बनायी है, उसकी रूपरेखा दे रहा हूं-हम लोगों ने सोच लिया है, जो भी हमारे व्यवसाय हैं, इनको व्यापकता का रूप दें, जनता की भागीदारी हो, चाहे जो भी व्यवसाय हो, पर्यटन व्यवसाय हो, राज्य में नये उद्योग लगाने का प्रस्ताव हो, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, कोई व्यवसाय पनपेगा नहीं और मान्यवर, कोई भी व्यवसाय रोजगार देने में सक्षम नहीं होगा। आपने हमारी नीति में पढ़ा होगा, पहला पैरा यही है, यह व्यवसाय जनता की भागीदारी वाला व्यवसाय है, चाहे होटल स्वामी हो, टैक्सी ड्राइवर हो, मोटर मालिक हों, हमारे तीर्थ के पुरोहित पूजा-पाठ करने वाले पुरोहित हों और व्यापारी हों, हैण्डीक्राफ्ट्स बेचने वाले हों, ये सब हमारी नीतियां हैं, जितने अधिक लोग व्यवसाय से जुड़ जाएंगे, उतनी अधिक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हमने अभी यहां पर एक औद्योगिक मेले का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य यह है कि उद्योग धन्धे वाले लोग यहां पर उद्योग लगाने का कार्यक्रम बनायें। 2 एम0ओ0यू0 हमने साइन कर लिए हैं, सीमेण्ट फैक्ट्री खोलने की बात चल रही है और जितने लोग इस मेले में भागीदारी करने आये हैं, वो सब उत्तरांचल के लिए कुछ न कुछ लेकर आये हैं। तो यह हमारी योजना और कार्यशैली है आपने खुद कहा कि फोनिया जी आई0टी0 की बात करते हैं, आज ही आस्ट्रेलिया से टेलीफोन आया कि मई के दूसरे सप्ताह में यहां आने वाले हैं। आई0टी0 के लिए जो भी हमारी सोच है, हम उसे पूरा करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहती हूं, बिजली ही नहीं होगी तो कम्प्यूटर लॉग ऑन कैसे होंगे।

श्री केदार सिंह फोनिया-

मान्यवर, बिजली की इतनी समस्या नहीं है कि आपका कम्प्यूटर लॉग ऑन ही न हो। ......

मान्यवर, स्वरोजगार योजना में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कितने लोग काम कर रहे हैं उन्होंने एक पूरी सूची दी। एक जनपद में लगभग 50 लोग ऐसे थे जो स्वरोजगार से लाभान्वित हुए। किसी ने बैग बनाने का काम शुरू किया और भी कई किस्म के धन्धों से लाभान्वित हुए। मान्यवर, हमने पर्वतीय क्षेत्र में खनन की नई योजना शुरू कराई गई है। खनन का काम अब तक जो बाहर के लोगों के हाथों में था, और अब अपने लोगों के हाथों में है और अपनी ही संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में गांव वालों को हक हकूक से लकड़ी मिलती थी अब उन्हें उसी हक हकूक से रेत और बजरी भी मिलेगी, पत्थर से रोड़ी बनाने का मौका मिलेगा। मान्यवर, हमारी पूरी नीति रोजगार सृजन पर निर्देशित है। हम लोगों की व्यावसायिक निपुणता में विश्वास करते हैं। होटल मैनेजमेंट हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय हो

सकता है। पहले दिल्ली में इसके स्कूल थे, अब उत्तरांचल में इसके दो स्कूल खुल गये हैं। हम इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे अपने होटल भी नये खुल रहे हैं। हम देश के अन्य नगरों में भी नये होटल खुलते देख रहे हैं। इतना मैनपावर आयेगा कहां से, मैनपावर हम देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इन सबके लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी ने इतनी स्वप्निल व्यवस्था दिखा दी, बजट में तो इसका प्रावधान है नहीं, तो क्या ऐसे ही यह व्यवस्था बन जाएगी। बजट में इसका उल्लेख नहीं है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, एक ही तो व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने जो स्वप्निल बाग दिखाया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैंने स्पप्न बाग नहीं दिखाया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो स्वप्निल बाग दिखाया है, बजट में तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। व्यवस्था में तो मुझे उन्होंने बता दिया लेकिन बजट का प्रावधान नहीं है तो ....

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, हकीकत तो यह है जब मैं बोल रहा हू तब मा० सदस्या सो रही हैं, इसलिए उनको स्वप्न सा नजर आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं सो तो नहीं रही हूँ लेकिन आपकी सरकार है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न उठाना मेरा अधिकार है, इसका उत्तर आपको देना होगा, बजट में प्राविधान कितना है क्योंकि सरकार में बैठे हैं इसलिए आपको स्वप्नों की दुनिया दिख रही है। मुझे छात्र संगठन वालों का फोन आया कि रेता बजरी का खनन बन्द कर दिया।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, किसी भी दल की, किसी भी सरकार की जो सोच होती है अगर वह दूसरे के समझ से परे हो गई तो वह उनके लिए स्वप्निल हो ही जायेगी ठीक ऐसा सामने बैठे माननीय सदस्यों के भाषणों से आभास मिलता है। लेकिन हमने विकास का प्रॉविजन बजट में भी रखा है। मान्यवर, इस समय भारतवर्ष के पास एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा एक आइटम है, वह है रेडीमेंट गारमेंट, अगर यह सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है तो यह सबसे बड़ा रोजगार जनरेट करने वाला उद्योग भी है। दिल्ली में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल है उसके जो चेयरमैन हैं उनसे हमारी बात हुई है, कल शाम 3 बजे उनसे मेरी बैठक होगी। मेरा यह प्रयास है कि देहरादून से रुड़की तक का जो यह बैल्ट है, ऊधमसिंह नगर की जो बैल्ट है रूद्रपुर, काशीपुर तक, ये दोनों बैल्ट रेडीमेट का पूरा गारमेंट के सेम बन जाये। अपरेल एक्सपोर्ट काउन्सिल हमें कुछ एक्सपोर्ट गारेंटी दे दे, यहीं मैं बात करने

वाला हूँ अगर वह हमें कुछ अपारचुनेटीज देते हैं तो यह बहुत बड़ा उद्योग होगा, सैकड़ों लड़के इसमें टेलरिंग एण्ड कटिंग का प्रशिक्षण लेकर के आगे इनको रोजगार के साधन बनायेंगे। इसी प्रकार के कई और उद्योग हैं लेकिन जिन लोगों की समझ में नहीं आता कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिशा देना चाह रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम जो पुराने सिक यूनिट हैं, काशीपुर में सूती मिल दो पड़े हैं वहां पर 3–4 हजार बेरोजगार पड़े हैं। उनको किस तरह से पुनर्जिवित किया जाय इस पर भी सोच चल रही है। कुछ देहरादून में भी हैं ये प्राइवेट सेक्टर में हैं। काशीपुर वाले तो हमारे स्टेट गवरमेंण्ट सेक्टर में है सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी भी उद्योग या योजना का सक्सेसफुल होना होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है "ला ऑफ द लैण्ड" जिस धरती में हम बैठे हैं, उसके नियम क्या हैं, कानून क्या है? मा० मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग औद्योगिक नीति जो लाये हैं, उसमें नियमों का सरलीकरण कर दिया है।

..... अगर शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र और विशेष बी०टी०सी० की योजना बनाकर हम 5 हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। रोजगार देने की यह सबसे बड़ी योजना है। मैं तो मान्यवर, यही निवेदन करूंगा कि और हमारी बहन जी ने कहा कि हर दिशा में हम पीछे हैं, लेकिन मुझे आत्म विश्वास है कि मात्र 3 साल के अन्दर हम लोग हर दिशा में आगे रहेंगे, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ईसम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ बातें कही हैं तो इस सम्बन्ध में इन्दिरा हृदयेश जी माननीय सदस्या हैं। इनके द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, तो मैं तो उसका समर्थन करता हूँ और जहां तक एक बात तो यह जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ी है तो फिर हमसे ज्यादा बेरोजगारी तो चीन में बढ़नी चाहिये थी, अभी सितम्बर 2000 में विश्व बैंक की रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि चीन की प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष की इण्डियन करेंसी के आधार पर एक लाख इकहत्तर हजार रुपया है, भारत का 14 हजार 7 सौ रुपया है तो मकसद यह है कि हमसे हमारी आर्थिक स्थिति का मुकाबला चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए थी क्योंकि 25 करोड़ जनसंख्या के आसपास हमारे से ज्यादा है, दूसरा जहां तक जापान की बात कही है वहां की प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर 12 लाख 67 हजार रुपया है और यदि जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर जापान का हमसे ज्यादा है तो वह गरीब होना चाहिए, इसलिए मेरा कहने का मकसद यह है कि जहाँ तक युवा वर्ग के बेरोजगारों की समस्या की बात है। वैसे तो कोई भी देश हो, स्टेट हो, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर केवल 4 या साढ़े चार परसेंट जनता को सरकारी सर्विस में नौकरी दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए यह व्यवस्था दूसरी तरह की करनी पड़ती है क्योंकि सरकार की सोच पॉजिटिव हो।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या डॉ० इन्दिरा हृदयेश जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बेरोजगारी के बारे में विचार रखे, मैं उसमें कुछ थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ माननीया इन्दिरा ह्रदयेश जी की कुछ शंकाएं हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मान्यवर, हमने जो बेरोजगारी के आंकड़े मंगाए, आपने शायद 22 लाख या 25 लाख कहा था, वह इस समय 2 लाख 78 हजार हैं। मान्यवर, एक फैक्ट्री ऐसी है, जो बेरोजगार पैदा करती है, स्कूल और कालेज। अगर स्कूल और कालेजों में स्वरोजगार की शिक्षा दी जाए तो शायद बेरोजगारों की संख्या इतनी न बढ़े। हर लड़का तो इण्टर पास, बी0 ए0 पास या हाई स्कूल भी पास कर लेता, उसके माँ–बाप ये कहते हैं कि हमारे लड़के को नौकरी पर रख लीजिए। उत्तरांचल के अन्दर तो इस बात का बहुत अधिक दबाव है। बैंकों से, अन्य संस्थाओं से, तथा खादी ग्रामोद्योग से हम स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाते हैं, लेकिन हमारा नौजवान उस ओर नहीं दौड़ता। एक बार जब मैं विदेश गया था तो देखा वहाँ कार पर बैठकर आदमी झाड़ू लगाने आता था। जहाँ मैं रहता था, वहाँ अखबार देने के लिये जो लड़का आता था, वो कार में बैठकर आता था और अखबार देने के बाद पढ़ने जाता था, वहाँ तो इसको बुरा नहीं माना जाता। लेकिन यह हमारे देश की मानसिकता है, इसको बदलना होगा। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर 9 महीने और 7 महीने की बात हो रही थी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप जो बीज 5 महीने में पैदा करना चाहते हैं, वो तो जीवित ही नहीं रह सकते। इसलिये हमें कुछ काम करने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने चाय बागान के अन्दर 43 कारखाने स्थापित किये हैं और लगभग 22 हजार एकड़ के अन्दर चाय की खेती हम शुरू कर रहे हैं, उसमें काम करने के लिये हम स्थानीय लोगों को भरती कर रहे हैं, स्थानीय महिलाएं चाय की पत्तियां तोड़ने का काम करेंगी, पहाड़ों में चाय बागानों का बड़ा स्कोप है। मशरूम की खेती में 10 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हमने रखा है। अभी आपने ए0 एन0 एम0 के बारे में कहा, हम उनको काम देंगे। जो शिक्षित हैं, उनको काम देना हमारी जिम्मेदारी है, इनके साथ ही जो बी0 आई0 एम0 एस0 हैं उनको भी हम काम देंगे। आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिये, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आपने कहा, "आप तो उन लोगों को रख रहें हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं तो नौजवान कहाँ जायेंगे।" अवकाश प्राप्त लोगों को हम केवल पुलिस विभाग में रख रहे हैं, क्योंकि उ0 प्र0 के विकल्पधारियों को हमने वापस भेजना है। हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिये 1000 लोगों को भर्ती कर रहे हैं। जब तक हमारे नौजवान ट्रेनिंग पूरी करेंगे, तब तक रिटायर्ड अफसरों या सैनिकों को काम देंगे। ......

मान्यवर, 1000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण आदि में समय लगेगा तब तक हम जो रिटायर्ड अफसर और सैनिक हैं उनको काम दे देंगे। अध्यापकों की बात आपने बताई उसमें रिक्तियां लगभग साढ़े बारह हजार हैं। अभी 600 लोगों को रोजगार दे दिया है। आप कहेंगे वह अस्थाई हैं, हम उनको स्थाई करेंगे। विशिष्ट बी0टी0सी0 में हम पूरी नौकरी दे रहे हैं। नियमित नौकरी दे रहे हैं। जितना हो सकता है हम उन लोगों को ले रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि धीरे–धीरे सब को अवसर मिलेगा। चीन और जापान की बात छोड़ दीजिए। चीन के अंदर रेजीमेन्टेशन है, वहां पर एक बच्चे का प्रावधान है, दूसरा आप पैदा नहीं कर सकते, वहां जब लड़कों ने आन्दोलन किया तो उन्होंने टैंक

चला दिये थे। प्रजातंत्र में यह सम्भव नहीं है। प्रगति जापान और जर्मनी ने की है। भारत भी प्रगति करेगा, जिसकी बात तो लोक सभा में होगी। बिहार और मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, जहां पर आप राज कर रही हैं बिहार में तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है। हम धीरे-धीरे अपने यहां उद्योग, व्यापार और स्वरोजगार में अपने बच्चों को काम दे रहे हैं। अब एक बेरोजगार संगठन बन गया है। अब इसकी क्या आवश्यकता है जब हम सबको काम देने के लिए तैयार हैं। हमें आप काम करने का मौका तो दें। आपने पांच वर्ष के कार्यकाल पर ग्रामवासी जी को घेर लिया। मेरा आपसे अनुरोध है जो हमारी कार्ययोजना है, जो प्रगति है, उसे देखते हुए हम काम करेंगे। कृपा करके अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने इन कुछ मुद्दों पर जैसे बी0एम0एस0 को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। अब आप सत्ता में आए हैं तो कांग्रेस शासित प्रदेशों से अच्छा काम करें। आप बढ़िया से बढ़िया काम करें, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर राज्य हित में कार्य करें। बेरोजगारी एक समस्या है, इसका एक दिन में निदान भी संभव नहीं है। चीन एक अपवाद है, जनतंत्र में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। अभी हम लोगों के अंदर वह कार्य संस्कृति भी नहीं आई है। घर में लड़की काम करती है, लड़के नहीं। यहां वह कार्य संस्कृति अभी नहीं बन सकी है। मैं पौड़ी जा रही थी एक नवविवाहिता लम्बा सा घूंघट ओढ़ कर अपने सिर पर एक सन्दूक रखे और दूसरे हाथ में एक थैला लेकर चल रही थी। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा, भाई एक तो आप पकड़ लो, लेकिन उसने नहीं पकड़ा।.....

मान्यवर, उत्तरांचल में खासकर पहाड़ों में महिलाओं के ऊपर सारा काम है। चाहे आप आसाम में चले जाइये महिला सामान बेच रही होगी, आदमी हुक्का गुड़गुड़ा रहा होगा। यह परिस्थितियां हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी एक दिन में दूर नहीं हो सकती। सरकार पर दबाव डालने के लिए मैं इसे लाई हूँ यहीं पर फोनिया जी ने सारी बातें कही, मैं स्वप्नील इसलिए नहीं कह रही हूँ हम लोगों को सुनते-सुनते 20-22 वर्ष हो गये हैं, बड़े अच्छे और सुन्दर-सुन्दर भाषण दे गये, भारी-भरकम लोग, वजनदार लोग, पढ़े-लिखे लोग, अब विश्वास कुछ उठ सा गया है। मेरी तो प्रार्थना है कि जो कुछ आपने कहा, आप एक्सपोर्ट काउन्सिल में बैठे हैं। आप ऐसी बैल्ट डेवलप करें- गहने बनाने के, ट्रेडिशनल गहने कोई भी डेवलप कर दें, उनकी मार्केटिंग दुनिया में है, इतना आसान तो नहीं बड़ा कॉम्पिटिशन है। आप समझते हैं ऐसा नहीं है, उस काम्पटीशन में कहां खड़ा है, बहुत सा समान वहां बिकता है उसकी कीमत है 5 डालर, हमारे यहां उसको कोई एक रुपये में भी नहीं खरीदेगा। मान्यवर, आप उद्योग नीति बना रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, एक दिन में बेरोजगारी दूर नहीं होती है, रोजगार मिलेगा, सरकार को सफलता मिलेगी, वाहवाही होगी। जो आपने बातें बताई मा0 मुख्यमंत्री जी ने मुझे व्यवहारिक पक्ष बता दिया जिसको मैं स्वीकार करती हूँ आपने तो मुझे सपने दिखा दिये, आप ये सपने साकार कर दें तो आप बहुत लम्बे समय तक हुकूमत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल के हित में महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जातिगत के आधार पर हो"।

श्री अध्यक्ष–

मा० भारत सिंह जी आपका संकल्प जारी रहेगा अगले दिन जिस दिन कार्यक्रम निर्धारित होगा उस दिन जारी होगा।

उत्तरांचल में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अम्बरीष कुमार–

मा० अध्यक्ष जी, "सदन का मत है कि उत्तरांचल में पॉलिथीन का प्रयोग एवं क्रय एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं, डा० इन्दिरा हृदयेश जी की सूचना–माध्यमिक शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया में अल्पकालिक रिक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों के विषय में शासनादेश के सम्बन्ध में है इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ। श्री ईसम सिंह जी की सूचना–उत्तरांचल राज्य में ठाकुरद्वारा से हजारों गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता

हूँ। अब हम सदन स्थगित करते हैं, 8 मई को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 02 मिनट पर मंगलवार 8 मई, 2001, के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देहरादून :
दिनांक 4 मई, 2001

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 विधान सभा/281-27-7-2002-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।